दैनिक
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
नवप्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...

www.navpradesh.com | रायपुर, गुरुवार 15 अक्टूबर 2020, आश्विन कृष्ण पक्ष-त्रयोदशी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-245 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

बॉलीवुड के सब बाहुबली पहली बार साथ-साथ नजर आए। दो खबरिया चैनलों के खिलाफ नामी गिरामी अभिनेताओं, निर्माताओं और निर्देशकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने गुहार लगाई है कि बॉलीवुड को बदनाम न किया जाएं। फिल्मी जुबान में कहा जाए तो इन भांड फिल्मकारों का कहना है कि- मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है...? इन बुड़बकों को इस गाने की एक और पंक्ति नहीं भूलनी चाहिए कि जो है नाम वाला वहीं तो बदनाम है...। बेहतर होगा कि हिंसा और अश्लीलता के ये कारोबारी अपना चाल, चेहरा और चरित्र बदल लें अन्यथा उनकी दुकानदारी का बंद होना तय है।

पाटन में शुरु हुई बघेल वर्सेस बघेल की सियासी जंग

हरिओम चौहान

भिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन में दुर्ग सांसद विजय बघेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मंडी प्रांगण में धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने उस प्रांगण को अस्थाई जेल में तब्दील कर दिया है। सांसद बघेल का आरोप है कि मुख्यमंत्री बघेल तानाशाही कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को झूठे प्रकरणों में फंसा रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दरम्यान पाटन क्षेत्र के जामगांव में सरकारी शराब दुकान के खुले होने के चलते बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दुकान बंद करवाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। तब पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ लूट-डकैती का मामला बना कर 3 लोगों को जेल भेज दिया है। इन्हीं लोगों की रिहाई और दर्ज प्रकरणों को वापिस लेने की मांग को लेकर आज सांसद विजय बघेल ने पाटन में प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें उसी स्थान पर नजरबंद कर दिया है, जहां वे धरने पर बैठे ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सियासी उठापटक में कार्यकर्ता के लिए सड़क पर उतरे सांसद बघेल

सूबे में महिलाओं के खिलाफ जरायम में पुलिसिया चूक

आग बबूला हुए सीएम भूपेश, सख्त हिदायत नपेंगे लापरवाह

नव प्रदेश संवादाता

■ पुलिस विभाग की बैठक के पहले एसडीओपी-टीआई पर गिरी गाज
■ मुख्यमंत्री ने कहा महिला सुरक्षा और बुजुर्गों के लिए समर्पण अभियान

रायपुर। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग के समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को हिदायती अंदाज में निर्देश दिया है कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर सतत मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाए। इसके लिए एसओपी बनाई जाए और पुलिस मुख्यालय सीधे महिलाओं के विरूद्ध गंभीर अपराधों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल का गठन भी किया जाए। डीजीपी डी.एम अवस्थी ने बैठक में बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर अंकुश रखने और ऐसे मामलों की तत्परता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में महिलाओं पर घटित कुल अपराधों में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए प्रारंभ किए जा रहे 'समर्पण अभियान' के लिए बैठक में सहमति प्रदान की। डीजीपी ने इस अभियान ■ शेष पृष्ठ 6 पर

पुलिस की उपलब्धि

- राज्य के 11 जिलों में 112 के तहत कर रहे मदद
- बीते 2 साल में तकरीबन 53 लाख कॉल प्राप्त हुई
- 9 लाख को पुलिस की 8 हजार को अग्निशमन मदद
- साढ़े 4 लाख को मेडिकल, 2 लाख को हादसे में हेल्प
- संकट में फंसे 6 हजार बच्चों को 112 ने तत्काल बचाया
- सुसाईड करते 14 हजार को व 72 हजार महिला को मदद
- शहर में 16 मिनट, ग्रामीण ईलाकों में 28 मिनट रिस्पांस टाइम

चूक पड़ गई भारी, एसडीओपी-टीआई सस्पेंड

गृह विभाग की बैठक के पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर के एसडीओपी श्री ध्रुवेश जायसवाल और थाना प्रभारी रघुनाथनगर श्री जॉन प्रदीप लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के तत्काल बाद पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा रखा गया है।

होम आइसोलेशन : सबसे सफल हो रहा रायपुर मॉडल

■ रिकार्ड 12171 कोरोना पॉजिटिव हुए पूरी तरह स्वस्थ

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। बिना लक्षण या फिर कम गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को होम आईसोलेशन का सबसे सफल मॉडल रायपुर बना है। लेकिन इस आइसोलेशन अवधि में मरीजों के समुचित उपचार के साथ ही उनका मनोबल भी उंचा रखना जरूरी होता है। रायपुर जिले का होम आइसोलेशन सिस्टम यह काम बखूबी कर रहा है और यह दूसरों के लिए मॉडल साबित हो रहा है।

जिले के एडीएम श्री विनीत नन्दनवार के मार्गदर्शन में रायपुर जिला कलेक्टोरेट में बनाए गए होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम जो कि 24x7 संचालित है, में हर समय गहमा गहमी रहती है। शुरूआत बिना लक्षण वाले मरीजों के पाजिटिव चिन्हांकन होने के बाद उन्हें होम ■ शेष पृष्ठ 6 पर

देश में कोराना संक्रमण का आंकड़ा 72 लाख से पार

नई दिल्ली (वार्ता)। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 72 लाख से अधिक हो चुके हैं हालांकि नये मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और अब तक 63 लाख से ज्यादा लोग कोरोनामुक्त हो चुके हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 74,632 कोरोना संक्रमितों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी। देश में अब तक 63,01,927 मरीजों ने कोरोना को मात दी है।

खास- खबर

लोन मोराटोरियम : 15 नवम्बर तक ब्याज माफी योजना लागू होगी

नई दिल्ली (वार्ता)। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बुधवार को अवगत कराया कि बैंकों से लिये गये ऋण की ईएमआई पर मोहलत के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज माफी योजना 15 नवम्बर तक लाूग कर दी जायेगी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ को बताया कि दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज की माफी योजना 15 नवम्बर तक लागू हो जायेगी। श्री मेहता का यह जवाब उस वक्त आया, जब उनसे खंडपीठ ने पूछा कि ब्याज पर छूट संबंधी योजना कब तक लागू हो जायेगी। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के हाथ में आम आदमी की दीपावाली है।

76 हजार छोटे भूखण्डों के क्रय-विक्रय से प्रतिबंध हटा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में प्रदेश के हजारों निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर अब छोटे तबके के लोग जिनके जमीन के छोटे भूखण्ड हैं, वे अब इनकी खरीद बिक्री आसानी से कर पा रहे हैं। राज्य शासन ने जमीन के छोटे भूखण्डों की खरीद बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाया गया था, फलस्वरूप प्रदेश के छोटे तबकों के जरूरतमंद 5 डिसमिल से छोटे भूखण्डों का क्रय विक्रय संभव हो सका है। नतीजन अब तक करीब प्रदेश में 76 हजार से ज्यादा छोटे भूखण्डों की खरीद और बिक्री हो गई है।

शेयर बाजार

सेंसेक्स- 40794.74
निफ्टी- 11971.05
गोल्ड- 50575 (10 ग्रा.)
सिल्वर-62015 (1 कि ग्रा.)

एनएमडीसी से अलग होगा नगरनार इस्पात संयंत्र

नई दिल्ली (वार्ता)। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) लिमिटेड से सरकारी निर्माणाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र को अलग करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में बस्तर के निर्माणाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र को एनएमडीसी से अलग किया जाएगा। बाद में नगरनार इस्पात संयंत्र में विनिवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी। लगभग 1980 एकड़ में स्थापित हो रहे नगरनार इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता 30 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। इसकी निर्माण लागत 23 हजार 140 करोड़ रुपए होगी। अभी तक इस पर 17 हजार ■ शेष पृष्ठ 6 पर

नई शिक्षा नीति : 5718 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी

नई दिल्ली (वार्ता)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नयी शिक्षा नीति के तहत शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए विश्व बैंक की सहायता से छह राज्यों में चलाये जाने वाले स्टार्स प्रोजेक्ट को बुधवार मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट पर 5718 करोड रूपये की लागत आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विश्व बैंक इसके लिए 3700 करोड़ रूपये की सहायता राशि देगा।

जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ का विशेष पैकेज: केंद्र सरकार ने केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 520 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता बुधवार को यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मरवाही उपचुनाव: खर्चों पर रहेगी चुनाव आयोग की नजरें

■ व्यय प्रेक्षक के रूप में तैनात रहेंगे आयकर अफसर

रायपुर (नव प्रदेश)। मरवाही विधानसभा में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष उपचुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सामान्य व्यय एवं पुलिस प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहब कंगाले ने मतदान के लिए प्रयोग होने वाले ईवीएम का 21 अक्टूबर से राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के सामने जांच करने निर्देश दिया है। उम्रदराज लोग डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान करेंगे। वहीं चुनावी खर्चों में चुनाव आयोग द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मरवाही उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। नाम निर्देशन की संवीक्षा 17 अक्टूबर को की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर निश्चित की गई है। अभ्यर्थी अपना नाम 19 अक्टूबर को वापस ले सकेंगे।

उपचुनाव जकांछ प्रत्याशी अमित जोगी 16 अक्टूबर करेंगे नामांकन दाखिल

मरवाही में नामांकन, आज डॉ. रमन तो कल सीएम भूपेश रहेंगे मौजूद

नव प्रदेश संवाददाता

बिलासपुर। हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी मरवाही विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिले के वक्त पार्टी के बड़े नेताओ का काफिला रहेगा। कल 15 अक्टूबर को भाजपा प्रत्याशी डॉ गंभीर सिंह पर्चा भरेंगे इस दौरान हौसला आफ्जाई के लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह समेत पार्टी के दर्जनों बड़े नेता मौजूद रहेंगे वहीं 16 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी डॉ केके ध्रुव नामांकन भरेंगे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके कई मंत्री और बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक तथा संगठन के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रत्याशी अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी भी 16 अक्टूबर को कोटा विधायक डॉ श्रीमती रेणु जोगी वी लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह की मौजूदगी में नामांकन भरेंगे। विधानसभा -24 उप निर्वाचन के लिए 14 अक्टूबर को पहला नामांकन पत्र दाखिल किया गया। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ़ इंडिया की अभ्यर्थी पुष्पा कोर्चे नामांकन दाखिल कर प्रक्रिया को शुरू किया है।

मरवाही विधानसभा निर्वाचन के लिए आज अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इण्डिया की प्रत्याशी पुष्पा कोर्चे ने नामांकन दाखिल करने के साथ ■ शेष पृष्ठ 6 पर

भाजपा के दिग्गज नेता होंगे शामिल

जानकारी के अनुसार भाजपा प्रत्याशी डॉ गंभीर सिंह 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने पहले ही एलान किया है कि पार्टी चुनाव चुनाव जितने के लिए लड़ेगी। मतलब भाजपा किसी भी हाल में जोगी कांग्रेस और कांग्रेस को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। जानकारी के अनुसार डॉ.गंभीर सिंह के नामांकन भरने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह , आदिवासी नेता पूर्व मंत्री गणेश राम भगत, पूर्व मंत्री बृज मोहन अग्रवाल, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, केदार कश्यप भी मौजूद रहेंगे।

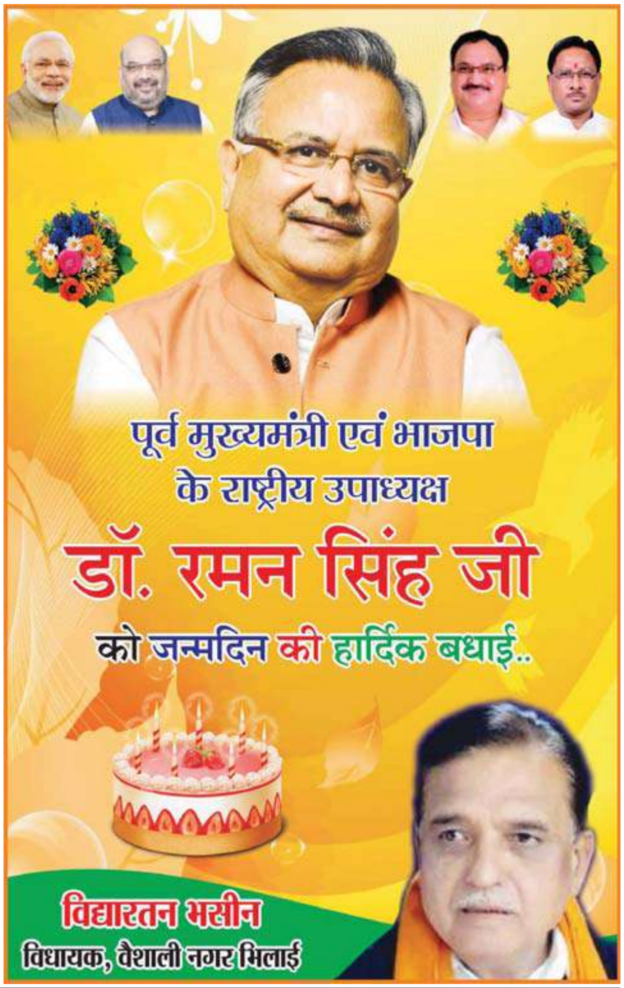

न्यूज गैलरी

गांजे के साथ पकड़ाया आरोपी

भिलाईनगर। व्यवहारिक प्रशिक्षण अवधि के दौराना थाना प्रभारी के स्वतंत्र प्रभार पर रहते हुए प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक डॉ.चित्रा वर्मा ने रूआबांधा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गांजा के कारोबार को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मादक पदार्थ गांजा बेच रहे आरोपी को भिलाईनगर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। आरोपी के पास से डेढ़ किलो गांजा बरामद किया गया है। जिसकी कीमत 18 हजार रुपए बताई गई है।

ट्रक ट्रेलर माल सहित बरामद

भिलाईनगर। पुलिस ने महज चंद घंटों में चोरी गई 18 चक्का ट्रक ट्रेलर व उसमें लोड 31 हजार 800 टन सरिया को बरामद करने में सफलता पायी है। दुर्ग कोतवाली पुलिस की इस कार्यवाही की प्रशंसा की जा रही है। अति.पुलिस अधीक्षक शहर रोहित कुमार झा से मिली जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर निवासी धीरज कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि, बजरंग पावर टीएमटी रायपुर से राहुल लॉजिस्टिक ने ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 जेसी 4425 में 31 हजार 800 टन लोहे का सरिया लोड कर पुणे महाराष्ट्र के लिए ड्रायवर संजय सिंह रवाना हुआ। बघेरा बाइपास रोड बाफना मोटर्स पेट्रोल पम्प से डीजल डालने निर्देशित किया गया था।

नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने प्रशासन ने जारी किए कड़े दिशा-निर्देश

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। नोवेल कोरोना वायरस कोविड.19 के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। साथ ही समय.समय पर राज्य शासन द्वारा महामारी को रोकने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार महामारी रोग अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के तहत् जुर्माना किया जाना निर्धारित है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है। जिले में कोरोना के नियंत्रण को लेकर 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले समय पर्वए त्यौहारों का है। जिसमें भीड़ जुटने और मास्क का उपयोग नहीं करने पर पाजिटीव मरीजों की संख्या में वृद्धि की संभावना है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुर्रे ने आयुक्त नगर निगम, एसडीएम और एसडीओपी की टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। इस कार्य हेतु संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संबंधित एसडीएम, उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षकों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नियमानुसार चालानी कार्यवाही करने तथा मास्क न लगाने वालों से चालान लेकर मास्क का वितरण करने कहा है। निगम क्षेत्र में स्व सहायता समूहों से मास्क क्रय किया जा सकेगा। आदेशानुसार सार्वजनिक स्थलों में मास्क व फेसकवर नहीं पहनने, होम आईसोलेशन के निर्देशों का उल्लंघन किए जानेए सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर सौ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार दुकानों व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने 2 सौ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से मना करने पर महामारी नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसी तरह किसी दुकानदार व व्यवसायिक संस्थान में दुसरी बार उलंघन पाए जाने पर 15 दिवस के लिए दुकान व व्यवसाय 15 दिवस के लिए सील किया जाएगा।

महापौर के प्रयास से अमृत मिशन से मिलेगा सौ रुपए में नल कनेक्शन

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। निगम क्षेत्र में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव ने सस्ते दर पर लोगों को नल कनेक्शन दिलाने के लिए जुलाई में अपनी परिषद से प्रस्ताव पारित किया था। महापौर देवेन्द्र के प्रयास से मात्र सौ रुपए की राशि में नवीन नल कनेक्शन लोगों को प्रदाय किया जा रहा है। कम दरों का लाभ उठाते हुए 26869 लोगों ने अब तक नवीन नल कनेक्शन लिया है। महापौर परिषद ने नवीन नल कनेक्शन को आसान किस्तों में विभाजित कर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है! एकमुश्त राशि जमा करने में अक्षम लोग इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं! इनके आर्थिक भार में भी कमी आ रही है। परिषद से पारित होने के बाद करदाता के लिए 250 रुपए प्रतिमाह एवं गैर करदाता के लिए सौ रुपए प्रति माह 20 महीनों के आसान किस्तों में अपने नल कनेक्शन की संपूर्ण राशि जमा कर सकते हैं। नवीन नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रथम किस्त की राशि ही काफी है! पहले यह राशि एकमुश्त करदाता के लिए 5 हजार एवं गैर करदाता के लिए 2 हजार थी!

जल विभाग के कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि पुराने नल कनेक्शन में 20776 वाटर मीटर लगाए जा चुके हैं तथा अमृत मिशन के तहत 26869 घरों में नवीन नल कनेक्शन के साथ ही इतने ही वाटर मीटर लगे हैं। घरों में नल कनेक्शन एवं वाटर मीटर लगाने का जिम्मा इंडियन वुमन पाइप को दिया गया है! संबंधित एजेंसी ने 47645 घरों में वाटर मीटर लगा दिया है! नवीन नल कनेक्शन के लिए संबंधित क्षेत्र के जोन कार्यालय में आवेदन दे सकते है।

प्रशासन की चेतावनी, नियमों की अनदेखी पर होगी कार्यवाही

नवप्रदेश संवाददाता

रिसाली। नवरात्र पर्व में कोविड.19 नियमों का पालन कराने अपर कलेक्टर व आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर श्याम नगर स्थित कार्यालय में बैठक ली गई। नोडल अधिकारी रमाकांत साहू ने दुर्गा पंडालों के पदाधिकारियों को कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा जारी गाइड लाइन के हिसाब से पर्व मनाने कहां। नोडल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी किए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। बैठक का मूल उद्देश्य

कोरोना वायरस से बचने एहतियाती कदम उठाना हैं। बैठक में उपस्थित दुर्गा पंडालों के पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि मंदिरों में होने वाले अध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं हैंए किन्तु अगर दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित किया जाएगा तो पंडाल के लिए अनुमति लेना आवश्यक हैं। इसके अलावा देवी मां की प्रतिमा 5 फीट से अधिक ऊंचाई नहीं होगी। साथ ही पंडाल में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सीसी टीवी कैमरा लगाना व दर्शन करने वालों का सूची अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा।

हिन्दु मिलन मंदिर रिसाली के परेश मंडल व एके बनर्जी ने बैठक में निर्णय लिया कि मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं समाज के सदस्यों के लिए वे फेसबुक पर लाइव प्रसारण करेंगे। ताकि मंदिर में भीड़ एकत्रित न हो।

अपर कलेक्टर व निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने नवरात्र पर्व को बेहद सादगी पूर्वक और गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाने की अपील की हैं। आयुक्त ने नागरिकों व दुर्गा पंडाल के पदाधिकारियों से कहा है कि वे प्रसाद वितरण न करे और नहीं ले। साथ ही किसी तरह के सांस्कृतिक भजन कार्यक्रम किए जाने पर प्रवधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में ये थे शामिल

एल्डरमेन अनुप डे, पूर्व पार्षद राजेन्द्र रजक रूआबांधा, राकेश त्रिपाठी, ठेलू साहू, लनिहाल निर्मलकर, मुबारकअली आशीष नगर, राकेश कुमार देशलहरे जोरातराई, हेमलाल चंद्रवंशी टंकी मरोदा, नंदलाल स्टेशन मरोदा, धर्मेन्द्र सिंह स्टेशन मरोदा, प्रशांत कुमार सूर मरोदा सेक्टर, जीतू टंडन, शिवराज शर्मा रिसाली, रामू लहरे, डी साई पुरैना, नंदेश्वर ठाकुर बाजार चौक, अमृतपाल सिंह प्रगतिनगर उपस्थित थे।

भाजपा बताए की समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत पर कहां होगी धान खरीदी

कृषि विधेयक पर किसानों को नहीं है भरोसा : राजेन्द्र

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक को लेकर भाजपा सांसद सरोज पांडेय और विजय बघेल के बयान पर तीखा हमला बोला है। राजेंद्र ने कहा है कि भाजपा सांसद बताएं कि कहां के व्यवसायी प्रदेश के किसानों से केंद्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य या इससे अधिक मूल्य पर धान खरीदने के लिए तैयार हैं। ताकिए प्रदेश के किसान कृषि विधेयक पर भरोसा कर सकें। मैदानी सच ये है कि पूरे देश में कृषि विधेयक का विरोध हो रहा है। कृषि विधेयक के विरोध में किसान हस्ताक्षर अभियान में बढ़.चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।

राजेंद्र ने कहा कि भाजपा सांसद कांग्रेस पर कृषि विधेयक को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने के आरोप लगा रहे हैं। सच ये है कि भाजपा ने 15 साल के शासनकाल में किसानों से किये गए वादे कभी पूरे नहीं किये। कांग्रेस पार्टी ने 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पद की शपथ लेने के बाद चंद घंटे में ही किसानों से किये गए वादों को पूरा कर दिखाया। कांग्रेस पार्टी के नेता आम जनता से जो वादे करते हैंए उसे पूरा भी करते हैं।

राजेंद्र ने कहा कि भाजपा सांसद सरोज पांडेय ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सिर्फ एक व्यक्ति का राज है। अगर उन्हें भूपेश सरकार के कामकाज की समझ होती तो उन्हें पता चलता कि पूरे प्रदेश में सभी मंत्री अपने.अपने दायित्व निभा रहे हैं। सच्चाई यह है कि पूरे देश में एक व्यक्ति का राज चल रहा है। आम जनता की बात छोड़ियेए खुद भाजपा नेताओं और सांसदों को भी केंद्र सरकार के मंत्रियों के नाम और मंत्रालय तक याद नहीं हैं। उसी इकलौते व्यक्ति के कहने पर व्यापार.उद्योग में भी एकाधिकार वाली कंपनियों को बढ़ावा देने वाली नीतियां तय हो रही है। सांसद सरोज पांडेय केंद्र सरकार में व्याप्त एक व्यक्ति के राज की व्यवस्था की खामी को प्रदेश सरकार पर मढ़ने का प्रयास न करे।

निजी स्कूलों की मनमानी रोकने सौंपा ज्ञापन

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। एनएसयूआई ने शिक्षा विभाग के अफसरों पर शिक्षा माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सोनू साहू ने कहा है कि दुर्ग के डीईओ अपने कर्तव्य से भटक कर उदासीन रवैया अपनाते हुए पालकों से विश्वासघात कर रहे हैं। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली के लिए दबाव बनाने के बावजूद कोई कार्रवाई न करने पर आज एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर दिव्या वैष्णव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा।

सोनू साहू ने ज्ञापन में निजी स्कूलों के मनमानी पर रोक लगाने और तत्काल दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। सोनू साहू ने बताया कि निजी स्कूलों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए ट्यूशन फीस के साथ साथ पालकों से पूरे साल की फीस वसूली जा रही है। अभिभावकों के पूछे जाने पर निजी स्कूल ट्यूशन फीस में वृद्धि की बात कह रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 के अंतर्गत कानून शासन द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन करते हुए कृष्णा पब्लिक स्कूलए अमरेश मिश्रा पब्लिक स्कूल धनोराए शकुन्तला विद्यालय रामनगर भिलाईए एमजीएम स्कूल भिलाई के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव व मानसिक प्रताड़ना की शिकायतें मिली हैं। निजी स्कूलों की ओर से लगातार पालकों से फीस की मांग की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा माफिया को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है। एनएसयूआई ने कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि मनमानी न रुकने पर निजी स्कूलों में तालाबंदी की जाएगी। इस मौके पर शिवांग साहू, अंकित, अमोल जैन, विकास राजपूत, गोल्डी कोसरे, हरीश देवांगन, यश, तेजस्वी उपस्थित थे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 20201010040‌0

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती प्रभा साहू पति नरेन्द्र कुमार साहू निवासी दीपक नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1251/23, 1251/24 रकबा 0.011, 0.006 हें/ 2190 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202009100400330

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती संगीता ठाकुर पति मनीष कुमार निवासी सेक्टर 01 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 692/15 रकबा 0.016 हें/ 1785 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202009100400329

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री मनीष कुमार ठाकुर आ. सच्चिदानंद ठाकुर निवासी सेक्टर 01 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 755/9 रकबा 0.020 हें/ 2100 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400431

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री प्रकाश सिंह ठाकुर आ. रामसिंह ठाकुर निवासी राजीव नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम नगपुरा प.ह.न. 02 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1838/12 रकबा 0.0100 हें/ 1275 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400032

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री बिहारीलाल बंजारे आ. समारुलाल बंजारे निवासी सड़क 04 ब्लाक 11 डी सेक्टर 5 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 334/13 रकबा 0.01 हें/ 1190 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400094

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री ईश्वरी प्रसाद कोशले आ. हीरालाल कोशले निवासी प्लाट नं. 334/12 चन्द्रनगर उमरपोटी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 334/12 रकबा 0.02 हें/ 1560 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202009100400293

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री मोहन प्रसाद अन्य 02 आ. स्व. परसुराम प्रसाद निवासी ठगड़ाबांध पद्मनाभपुर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 284/37, 285/37 रकबा 0.033 हें/ 3640 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400387

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री मन्नुलाल पोर्ते आ. खेदूराम पोर्ते निवासी उतई तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 862/3 रकबा 0.020 हें/ 2222 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400324

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर आ. कंवल सिंह ठाकुर निवासी सेक्टर 05 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 29 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 336/7 रकबा 0.03 हें/ 2719 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400318

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री गोवर्धन लाल ठाकुर आ. स्व. सुखलाल ठाकुर निवासी सेक्टर 06 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 29 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 336/5 रकबा 0.03 हें/ 2719 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400206

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सरोजनी चंद्राकर पति दीनदयाल चंद्राकर निवासी जामुल तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम जामुल प.ह.न. 18 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 414/7 रकबा 0.010 हें/ 1064 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400185

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती रीना मिश्रा पति श्री अजय कुमार मिश्रा निवासी रीवा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम कातुलबोर्ड प.ह.न. 20 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 104/133 रकबा 0.0100 हें/ 1060 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 06.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400231

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदका श्री दिनेश कुमार वर्मा आ. नरसिंह वर्मा निवासी कसारीडीह सुभाष नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 342/28 रकबा 0.028 हें/ 3000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400263

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री चिमनलाल साहू आ. कुवारुराम साहू निवासी लक्ष्मीनगर सुपेला भिलाई जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम हनोदा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 463/101 रकबा 0.0170 हें/ 1800 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400085

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री जितेन्द्र प्रताप गुप्ता आ. शिवलाल गुप्ता निवासी सांई नगर उरला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 826/189 रकबा 0.005 हें/ 575 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400353

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका मंगला बाई गजभिये जौ. महेन्द्र कुमार गजभिये निवासी शक्तिनगर दुर्ग शिव मंदिर के पास द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 85/28 रकबा 0.011 हें/ 1200 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 12.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400317

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती धात्री साव जौ. प्रमोद कुमार साव निवासी प्लाट नं. 105 ए चन्द्रनगर उमरपोटी भाठा पो. उतई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 312/38 रकबा 0.020 हें/ 2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400319

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक बनवाली राम साहू आ. मिलऊराम साहू निवासी मडौदा से. भिलाई जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 29 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 336/4 रकबा 0.03 हें/ 2788 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल

रायपुर। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा जारी आदेश के तहत सोनमणि बोरा को सचिव राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। उनके पास अब केवल संसदीय कार्य विभाग का प्रभार रहेगा। आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर अमृत कुमार खलखो को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें सचिव राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री के.डी.कुजांम, संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आईजी, एसपी ने ली रायपुर रेंज के अधिकारियों की बैठक

रायपुर। रायपुर रेंज आईजी आनंद छाबड़ा और एसएसपी अजय यादव ने बुधवार को रेंज के सभी अतिरिक्त पुलिस एडिशनल एसपी, सीएसपी व थाना प्रभारियों की बैठक ली। इस बैठक में महिला उत्पीड़न, त्यौहारी सीजन के मद्देनजर तैयारियों का रूट प्लान पुलिस अधिकारियों से लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हुई बैठक में ड्रग्स रैकेट के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई को लेकर आईजी ने पुलिस टीम में शामिल अधिकारियों को प्रशंसा करते हुए उन्हें शाबासी दी। साथ ही इस तरह के कारोबार में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार

रायपुर। शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है। इसके लिए मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने के लिए मूर्तिकार दिन-रात जुटे हुए है। शारदीय नवरात्रि इस बार 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। नवरात्र में जहां देवी मंदिरों में जहां 9 दिनों तक ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे, वहीं कई जगहों पर मां दुर्गा की प्रतिमा भी विराजित की जाएगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार जहां मंदिरों में ज्योति कलश पूर्व की भांति प्रज्वलित नहीं होंगे। सभी मंदिरों में इस बार ज्योति कलश काफी कम मात्रा में प्रज्वलित किए जाएंगे।

अंग्रेजी हुकूमत के वक्त का सिटी कोतवाली थाना जमींदोज

■ 217 साल पुराना थाना भवन अब बनेगा हाईटेक

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। अंग्रेजों के जमाने की 217 वर्ष पुरानी 1802 में बनाई गई सिटी कोतवाली का बुधवार की सुबह तक सफाचट हो गई। दो दिनों के भीतर शहर की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के स्थान पर अब सिटी कोतवाली का नया भवन और सीएसपी दफ्तर के नाम से ही जानी जायेगी क्योंकि इसके स्थान पर यहां हाईटेक कोतवाली अब मूर्त रूप लेने वाला है। जब तक यह हाईटेक कोतवाली तैयार नहीं हो जाती उस समय तक के लिये थाने और सीएसपी दफ्तर को रंग मंदिर गांधी चौक में अस्थाई रूप से हस्तांतरित किया गया है।

इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में न्यायिक सुनवाई के लिये सिटी कोतवाली का उपयोग किया करते थे और यहां प्रकरणों की सुनवाई होती थी। तत्कालीन समय में रायपुर नागपुर कमिश्री के अंतर्गत आता था इस वजह से दूर दूर से लोग अपनी शिकायतों को लेकर कोतवाली आया करते थे। बताया जाता है अंग्रेजों ने इसे अपने शासनकाल में बनाया था जहां

1857 की जो क्रांति हुई उसकी सुनवाई इसी कोतवाली में हुई थी। सिटी कोतवाली में थाने का संचालन 117 वर्षों से किया जा रहा था। स्मार्ट सिटी ने कोतवाली के स्थान पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 5.50 करोड़ की लागत से बहुमंजिला हाईटेक थाना बनाने की कमान हाथों में थामी है। सिटी कोतवाली का नया भवन तथा सीएसपी दफ्तर ने अपना आकार ले लिया है।

कलेक्टर और मंत्रालय में अनुकंपा नियुक्ती पर खामोशी

■ आश्रित 75 परिवारों के सामने रोजी-रोटी के लाले पड़े

■ अनुकंपा नियुक्ती के लिए 13 दिन से जारी है उपवास

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। अफसरशाही की वजह से सबसे संवेदनशील विषय अनुकंपा नियुक्ती पर कार्रवाई तो दूर चर्चा तक नहीं हो रही है। 2013 से लेकर 2019 तक कर्मचारियों के आश्रित 75 परिवार के सामने अब रोजी-रोटी के लाले हैं। फांके का समय बीता रहे इस परिवार की जायज मांग के लिए सामने आए छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने चातावनी दी है कि लगातार बीते 13 दिनों से अनुकंपा नियुक्ती के लिए उपवास रह रहे आश्रित परिवारों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश साहू, जिला शाखा रायपुर के जिलाध्यक्ष सुखीराम धृतलहरे ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर नौकरशाही की भेंट चढ़ गए अनुकंपा नियुक्ती वाले परिवारों के प्रति सरकार से गंभीरता पूर्वक फैसला लेने की मांग की है। संघ पदाधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में सीएसआईडी में मर्ज किए गए पूर्व राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के 75 परिवार बेरोजगार हैं। पहले अन्य विभागों में इन कर्मचारियों को निगम के भंग करने के बाद अटैच किया गया था। बहुत से ऐसे भी कर्मचारी परिवार हैं जिनके मुखिया की मौत होने के बाद परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ती दी जानी थी। 2013 से लेकर 2019 तक काफी लंबे संघर्ष के बाद भी 75 परिवार भटक रहे हैं। बता दें कि मामले पर हाईकोर्ट बिलासपुर ने भी राज्य सरकार को आदेश पारित कर चुका है। बावजूद इसके कलेक्टोरेट से लेकर मंत्रालय के दफ्तरों में कोर्ट के उस फैसले और आश्रित परिवार के दुख-दर्द पर कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है। अपनी मांगों को लेकर रायपुर में बीते 13 दिनों से उपवासरत परिजनों के सपोर्ट में कर्मचारी संघ के सदस्यों ने चेताया है कि अब तक का शांति का रास्ता कहीं उग्र आंदोलन में तब्दील न हो इसके लिए राज्य सरकार के जिम्मेदारों को सुध लेना होगा।

एम्स में इस सत्र से पैरा मेडिकल और टेक्निशियन कोर्सेज की भी शुरूआत

■ रोजगारपरक होंगे सभी कोर्सेज, अस्पताल की बढ़ती मांग को पूरा करने में होंगे सक्षम

■ बी.एससी. विभिन्न विषयों में कर सकेंगे, प्रेक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी होगी

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। अस्पतालों में बढ़ती पैरा मेडिकल स्टॉफ और टेक्निशियन्स की कमी को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर में इस वर्ष कई नए रोजगारपरक कोर्सेज शुरू किए गए हैं। इसमें जीव विज्ञान और गणित से 12वीं पास करने वाले युवा बैचलर कोर्स कर सकेंगे। अधिकतर पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप और प्रेक्टिकल ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है जिससे छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान मिल सके।

एम्स में शुरू हुए इस सत्र से बी.एससी. इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी (साढ़े तीन वर्ष की अवधि का), बी.एससी. इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बी.एससी. इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लेंग्वेज पैथोलॉजी और एडवांस डिप्लोमा इन रेडियोथैरेपी टेक्नोलॉजी संचालित होंगे। इनमें एक वर्ष की इंटर्नशिप का प्रावधान बीएएसएलपी और एडीआरटी में भी किया गया है जिससे छात्रों को अस्पतालों की व्यावहारिक ज़रूरतों का ज्ञान हो सके। आशा की जा रही है कि इससे छत्तीसगढ़ को भविष्य में प्रशिक्षित टेक्नीशियन मिल सकेंगे।

इसके अलावा एम्स में एक वर्ष का प्री हॉस्पिटल ट्रामा टेक्निशयन कोर्स भी शुरू किया है जिसे 12वीं के बाद किया जा सकता है। निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने कहा है कि एम्स की स्थापना का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं के साथ अनुसंधान और छत्तीसगढ़ को प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञ प्रदान करना है। यह प्रयास इसी का एक रूप है।

शासकीय राशन दुकान का ताला तोड़कर राशन चोरी

■ 6 क्विंटल चावल व 40 किलो शक्कर सहित 30 चना चोरी, मामला दर्ज

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। शासकीय दुकान का ताला तोड़कर 16 क्विंटल चावल व 40 किलो शक्कर सहित 30 चना चोरी कर लेने की रिपोर्ट धरसींवा थाने में दर्ज की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 7 तरपोंगी जिला रायपुर निवासी सुरेन्द्र मोहनदास बघेल 54 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति मोंहदा पंजीयन क्रमांक 950 का प्रबंधक है। जिसका आश्रीत ग्राम सुगेंरा स्थित शासकीय उचित मुल्य की दुकान है आज सुबह बुधवार को 06/00 बजे सेल्समेन लखनलाल साहू ने मोबाईल से सूचना दिया कि सुगेंरा के शासकीय दुकान पर चोरी हो गया है। जिसके सेल्समेन लखनलाल साहू, समिति अध्यक्ष रतनचंद निषाद, पंच मोहनलाल साहू एवं कोटवार टेकराम निषाद के साथ मौके पर जाकर देखे आस पास चांवल, चना बिखरा हुआ है जो सड़क तक गिरा हुआ है। स्टाक से मिलान करने पर 72 कट्टा (36 क्विंटल) चांवल कीमत 16000 रूपये व चना 30 किग्रा0 निशुल्क एवं शक्कर 40 किग्रा0 कीमत 800 रूपये, नमक 03 कट्टा (डेढ क्विंटल) निशुल्क जुमला कीमत 16 हजार 800 रूपये का राशन नही मिला। किसी ने दिनांक 13/10/2020 के 2/30 बजे दोपहर से 14/10/2020 के प्रातः 05/30 बजे के बीच कोई अज्ञात चोर शासकीय दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर दुकान में रखें उक्त राशन को चोरी कर ले गया है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 380,457 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

पुराने विवाद को लेकर आपस में हुई चाकूबाजी

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। दोस्त का जन्म दिन मनाने गए दो युवक पुराने विवाद को लेकर आपस में मारपीट कर एक दूसरे पर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट सिविललाईन थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कूल के सामने गांधीनगर कालीबाड़ी निवासी शंकर बाघ 22 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि बीती रात प्रार्थी अपने दोस्त जीतु हरपाल का जन्मदिन मनाने विजय किराना स्टोर्स के सामने गोरखा कालोनी गया था। तभी पुरानी विवाद को लेकर गोरखा कालोनी का रहने वाला विक्की उर्फ सुदर्शन छुरा विवाद कर गाली-गलोच करने लगा व अपने पास रखे धारदार चाकू निकालकर प्रार्थी के पेट व हाथ पर वार किया। जिसके चलते चोट लगने से खुन निकलने लगा। इसी तरह वेल्कम टॉवर गोरखा कालोनी निवासी सजना छुरा 55 वर्ष पति विष्णु छुरा ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थिया ने अपने बेटे सुदर्शन छुरा को रिसेदार जीतु हरपाल के जन्मदिन का केक लाने के लिये को भेजा था। केक देकर वापस आते समय शंकर बाघ, प्रकाश, प्रमोद एवं विकास गाली गलोच कर जान से मारने की धमकी देकर लाठी, डण्डा से मारपीट सुदर्शन छुरा के सिर, दाहिने हाथ, एवं शरीर में चोट लगने पर प्रार्थिया का बड़ा बेटा कृष्णा छुरा बीच-बचाव करने आया जिसके बाद विकास ने अपने हाथ में रखे चाकू से मारकर चोट पहुंचाया।

एचएम के नहीं आने से राजभवन की बैठक रद्द

■ सीएम की बैठक में उपस्थित हुए ताम्रध्वज

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। महिला अपराधों के प्रति पुलिस की गंभीरता और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गृह विभाग की एक बैठक राजभवन में भी पूर्व निर्धारित थी। इस बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और पुलिस महानिदेशक समेत अन्य शीर्ष अफसरों को शामिल होना था। सभी पहुंच भी गए पर तय वक्त पर एचएम के क्वारंटीन होने की वजह से नहीं आने की खबर पहुंची। इस वजह से राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली राजभवन में गृह विभाग की बैठक टल गई। राजभवन की तय बैठक अचानक स्थगित होने की सूचना जारी हुई। इसके फौरी बाद ही गृह विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री निवास में भी होनी थी। जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों समेत क्वारंटीन होने की वजह से राजभवन नहीं पहुंच पाए एचएम ताम्रध्वज साहू सीएम हाउस बैठक में शिरकत किये। राजभवन सूत्रों ने बताया कि गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के क्वारंटीन अवधि खत्म होने के बाद यह समीक्षा बैठक राजभवन में आयोजित की जाएगी।

कोविड-19 को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एम्स, रायपुर की बैठक

त्यौहारों पर रखें सामाजिक दूरी, मास्क लगाएं

■ भीड़ में भी रखना होगा कोविड-19 संबंधी सावधानियों का ध्यान

■ कोविड-19 संबंधी जन आंदोलन को फैलाने में मीडिया का अहम योगदान

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। त्यौहारों पर भी कोविड-19 संबंधी सभी सावधानियों का ध्यान रखा जाए, इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में देशभर के एम्स के निदेशकों और प्रमुख केंद्रीय अस्पतालों के निदेशकों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर चिकित्सकों, नर्सिंग स्टॉफ और चिकित्सा छात्रों द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन को व्यापक बनाने पर जोर दिया गया।

एम्स, रायपुर के निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को बताया कि एम्स निरंतर विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ में सामाजिक दूरी का ध्यान रखने, बिना वजह घर से बाहर न जाने और उचित तरीके से मास्क का प्रयोग करने संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसमें एम्स के चिकित्सक, नर्सिंग स्टॉफ और चिकित्सा छात्रों का अहम योगदान है। इसके लिए एम्स में जगह-जगह पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। इसके साथ ही एम्स में आने वाले रोगियों और उनके परिजनों को भी कोविड-19 से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि एम्स में शपथ के माध्यम से सभी ने कोविड-19 के निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया है। इसके अलावा ओपीडी में स्क्रिन्स, मास्क बांटकर, ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से और निरंतर परिसर को कीटाणुमुक्त बनाने का अभियान चलाकर भी कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष किया जा रहा है। डॉ. हर्षवर्धन ने आगामी त्यौहारों का जिक्र करते हुए एम्स के सभी निदेशकों और प्रमुख चिकित्सकों का आह्वान किया कि इन परिस्थितियों में भी कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके लिए सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन का साथ लिया जा सकता है। उन्होंने जागरूकता फैलाने में मीडिया के अहम रोल का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया का भी सक्रिय प्रयोग करने पर जोर दिया।

बैठक में सभी एम्स के निदेशक, पीजीआई चंडीगढ़ और जिपमर के निदेशकों और देश के प्रमुख चिकित्सकों ने भाग लिया।

एसएसपी यादव ने चार निरीक्षकों का बदला प्रभार

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने आज अचानक ही राजधानी रायपुर में पदस्थ चार निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया। इसमें हाल ही में करोड़ों का सट्टा पकड़ने वाले तेलीबांधा टीआई रमाकांत साहू प्रमुख हैं। पहले दो प्रभार सम्हाल रहे थाना प्रभारी रमाकांत साहू को थाना तेलीबांधा के जिम्मे से हटाकर सायबर सेल का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। इसी तरह हाल ही में गोलबाजार थाना प्रभारी के पद पर तैनात किए गए हैंडसम कॉप विनीत दुबे को रमाकांत साहू के स्थान पर पदस्थ किया है। जबकि लाईन यानि की रक्षित आरक्षी केंद्र में पदस्थ रहे दो निरीक्षक अशफाक अंसारी को राखी थाना और रक्षित आरक्षी केंद्र से कृष्णकांत वाजपेयी को को गोलबाजार थाना में पोस्टिंग मिली है। बता दें कि हाल ही में तेलीबांधा थाना निरीक्षक रमाकांत साहू ने कोकिन प्रकरण में समेत अन्य मामलों में भी काफी स्मार्ट वर्क किया था। इसके बाद भी उन्हें थाना प्रभारी से सायबर सेल में भेजने के पीछे शायद बढ़ रही सायबर ठगी को माना जा सकता है।

एसीबी-ईओडब्ल्यू में नवीन पदस्थापना

रायपुर। गृह विभाग ने प्रदेश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, प्रधान निरीक्षक आरक्षक चालक व आरक्षक का तबादला आदेश निकाला है जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेशन ब्यूरो रायपुर में पदस्थ किया गया है। जिन्हें नवीन पदस्थापना दी गई है उनमें अमृता सोरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर, डा. यूलेंडन यार्क उप पुलिस अधीक्षक जगदलपुर, जितेंद्र चंद्राकर उप पुलिस अधीक्षक जांजगीर, विकांत राही उप पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, हेमसागर सिदार उप पुलिस अधीक्षक जगदलपुर, बनार्ड कुजूर निरीक्षक बस्तर, शिवेंद्र राजपूत निरीक्षक राजनादगांव, प्रशांत राव निरीक्षक नारायणपुर, अंकित खोखर निरीक्षक जशपुर, सैयद इरफान प्रधान आरक्षक रायपुर, करुण सरोज प्रधान आरक्षक रायपुर, योगेश कुमार देशमुख प्रधान आरक्षक 18वीं वाहिनी मनेन्द्रगढ़, संतोष टोप्पो आरक्षक (चालक) 2420 रायपुर, रितेश दीवान आरक्षक 654 रायपुर, लीलीधर ताम्रकर आरक्षक 2369 रायपुर, ईमामुद्दीन कुरैशी आरक्षक कांकेर शामिल है

संपादकीय

ये दाग कतई अच्छे नहीं है

बॉलीवुड के दामन पर जो दाग लगे है वे कतई अच्छे नहीं है। बॉलीवुड में पसरी पड़ी गंदगी के खिलाफ कुछ खबरियां चैलनों ने अभियान चलाया तो बॉलीवुड में खलबली मच गई नतीजतन बड़े बड़े फिल्म निर्माता, निर्देश और अभिनेता एक जुट हो गए। इन लोगों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें दो खबरियां चैलनों के नाम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ये बॉलीवुड को लेकर जिस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे है वो उचित नहीं है इससे बॉलीवुड की छवि खराब हो रही है अतः इन खबरिया चैनलों को हाईकार्ट निर्देशित करें कि वह बॉलीवुड को बदलाम न करें। करण जौहर से लेकर अनेक फिल्म निर्माता निर्देशक तथा सलमान खान, आमिर खान, शाहरूख खान, अजय देवगन और अनिल कपूर जैसी लगभग 50 नामी गिरामी फिल्मी हस्तायों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर जो गुहार लगाई है उसपर हाईकोर्ट का फैसला आना अभी बाकि है। ये वहीं फिल्मकार है जो कभी एकजुट नहीं हुए। राष्ट्रीय आपदाओं में भी इन्होने कभी एकजुटता नहीं दिखाई लेकिन जब इनके पेट पर लात पड़ने की संभावना नजर आई तो सभी आपसी मतभेद भुलाकर हम साथ साथ है का नारा लगाने लगे। बॉलीवुड में फैली गंदगी को कुछ खबरिया चैनलों ने उजागर किया तो इन्हे आपत्ति होने लगी जबकि हकीकत यही है कि बॉलीवुड में गंदगी बढ़ती ही जा रही है। यह ठीक है कि बॉलीवुड में सभी गंदे लोग नहीं है लेकिन जो गंदे है उनकी सफाई तो जरूरी है। बॉलीवुड में सातवें दशक के बाद से काले धन का प्रभाव बढ़ा है और फिल्मों में कुख्यात डॉन दाउद इब्राहिम का दखल भी बढ़ा था। इसी कारण अपराधियों और माफियाओं को महिमामंडित करने वाली फिल्मों की बाढ़ सी आ गई थी। अभी भी हिंसा और अश्लीलता से भरी फिल्मे बन रही है जिसे लोग परिवार सहित देख भी नहीं सकते। इन हिन्दी फिल्मों में सुनियोजित साजिश के तहत हिन्दु धर्म और संस्कृति का मजाक उड़ाने का दुःसाहस किया जा रहा है। अन्य धर्मा के खिलाफ ऐसी फिल्में बनाने का बॉलीवुड में साहस नहीं है। बॉलीवुड से तो अच्छी दक्षिण भारत की फिल्में है जिसमें कम से कम हिन्दु धर्म और संस्कृति का तो ध्यान रखा जाता है। बेहतर होगा कि आईने पर उंगली उठाने की जगह बॉलीवुड अपनी गिरेबान में झंककर देखें।

विचार

छोटा पड़ेगा नया पैकेज

वित्त मंत्री ने यह उम्मीद जरूर जताई है कि केंद्र सरकार की ही तरह राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी अगर अपने कर्मचारियों को एलटीसी में वैसी ही छूट दें तो बाजार में काफी पैसा पहुंच जाएगा। मगर ऐसी छूट देने के लिए उन्हें प्रेरित करने वाले किसी ठोस कदम की घोषणा का अभी इंतजार ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में आई जड़ता दूर करने और बाजार में नई मांग पैदा करने के लिए सोमवार को कई बड़े ऐलान किए। कुल मिलाकर 73 हजार करोड़ रुपये की छूटों, राहतों और अनुदानों के जरिए उनकी कोशिश यह है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के संयुक्त परिणाम के रूप में उपभोक्ताओं के बीच खर्च करने को लेकर बनी हुई हिचक किसी तरह टूटे और इकॉनमी की रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़े। सरकार की इन घोषणाओं की टाइमिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि दशहरा, दिवाली से लेकर छठ, क्रिसमस और न्यू ईयर तक का त्योहारी सीजन अब शुरू ही होने वाला है। दो-ढाई महीने की इस अवधि में खरीदारी को लेकर लोगों में विशेष उत्साह रहता है और इसी वजह से कारोबार जगत की इससे खास उम्मीदें लगी होती हैं। इस बार तो यह सीजन जैसे मंदी के कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बचाव के आखिरी मौके के रूप में आया है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री द्वारा घोषित पैकेजों से यह उम्मीद की जा सकती है कि इससे अर्थव्यवस्था को इतना जोरदार धक्का मिल पाएगा, जिससे यह स्टार्ट होकर अपनी गति पकड़ सके। अगर इसका जवाब उत्साहपूर्ण हां में देना मुश्किल हो रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन घोषणाओं की धुरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सिमटी हुई है, जो आम उपभोक्ताओं का एक अत्यंत छोटा हिस्सा भर हैं। वित्त मंत्री ने यह उम्मीद जरूर जताई है कि केंद्र सरकार की ही तरह राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी अगर अपने कर्मचारियों को एलटीसी में वैसी ही छूट दें तो बाजार में काफी पैसा पहुंच जाएगा। मगर ऐसी छूट देने के लिए उन्हें प्रेरित करने वाले किसी ठोस कदम की घोषणा का अभी इंतजार ही है। एक अलग कदम के रूप में राज्य सरकारों के लिए 50 साल के लिए ब्याजरहित लोन के रूप में जो 12,000 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है उसमें भी इतनी सारी कैटिगरी बनाते हुए ऐसी शर्तें जोड़ दी गई हैं कि किस राज्य के पास कितना पैसा पहुंचेगा, कहना मुश्किल है। 1000 करोड़ रुपये किसी के भी हाथ नहीं आने वाले, इतना तय जान पड़ता है।

इसमें दो राय नहीं कि मौजूदा हालात में सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। महंगाई और राजकोषीय घाटे को काबू में रखने का दबाव उस पर है। ज्यादा खर्च करने के जोखिम को वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन इसके बरक्स खर्च न करने या जरूरत से कम खर्च करने का खतरा भी कम गंभीर नहीं है। फैक्ट्रियों में उत्पादन की स्थिति बताने वाले आईआईपी (इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में इसमें पिछले साल के मुकाबले 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। साफ है कि जुलाई महीने में दर्ज की गई 10.8 फीसदी की गिरावट के मुकाबले हालात कुछ खास नहीं सुधरे हैं।

भागवत का हिंदुत्व भी सर्वसमावेशी बन गया

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

> भारत के मुसलमान कौन हैं ? क्या ये अरब हैं, मंगोल हैं, तुर्क हैं, मुगल हैं, उइगर हैं ? हजार-पांच सौ साल पहले ये विदेशी अल्पसंख्या में भारत जरुर आए थे लेकिन अब तो वे इतने घुल मिल गए हैं कि उनका घराना-ठिकाना ही खोजना मुश्किल है। इन मुट्ठीभर विदेशियों के कारण क्या हमारे करोड़ों मुसलमानों को हम विदेशी मूल के कह सकते हैं ? इस प्रश्न का जवाब मैं अटलबिहारी वाजपेयी के शब्दों में देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमानों का खून, हमारा खून है और उनकी हड्डियां, हमारी हड्डियां हैं। कुछ वर्ष पहले दुबई के अपने एक भाषण के दौरान जैसे ही मैंने कहा कि भारत के मुसलमान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुसलमान हैं तो श्रोताओं में बैठे कई अरब शेखों के चेहरों पर अचानक तनाव आ गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुसलमानों के प्रति आजकल रवैया क्या है, इस प्रश्न पर बहस चल पड़ी है। बहस का मुख्य कारण संघ के मुखिया मोहन भागवत के कुछ बयान हैं। अभी-अभी उन्होंने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट कोई मुसलमान है तो वह भारत का मुसलमान है। पिछले साल उन्होंने अपने विज्ञान भवन के भाषण में कहा था कि हिंद में जो भी पैदा हुआ है, वह हिंदू है। भारत के मुसलमान भी हिंदुत्व के दायरे से बाहर नहीं हैं। उन्होंने माना कि 'हिंदू' शब्द हमें विदेशियों (मुसलमानों) ने दिया है। लेकिन अब वह हमसे चिपक गया है। पिछले दिनों पड़ौसी देशों के शरणार्थियों के लिए जो नागरिकता संशोधन कानून बना है, उसके बारे में संघ का कहना है कि उसमें मजहब और जाति का अड़ंगा लगाना ठीक नहीं है।

भारत के मुसलमान दुनिया में सबसे संतुष्ट हैं, यह बात कोई बड़े मुल्ला-मौलवी या कोई नामी-गिरामी मुस्लिम नेता कह देते तो बेहतर होता लेकिन उनके खिलाफ काफिराना हरकत के फत्तवे जारी हो जाते। लेकिन संघ और मोहन भागवत के उक्त बयानों से भी कुछ मुस्लिम नेता खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, देश के मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि भारत तो अब हिटलर का जर्मनी बन रहा है। यहूदियों पर हिटलर जो जुल्म करता था, वे अब भारत के मुसलमानों पर हो रहे हैं। वे धारा 370 को खत्म करने पर बोल रहे थे। जाहिर है कि मुसीबतों में फंसे पाकिस्तान के नेता भारत पर ये इल्जाम इसलिए भी लगाते हैं कि उनके वोट वहां पक्के हो जाएं लेकिन हमारे मुस्लिम नेताओं को वैसे आरोप लगाते समय कुछ मुद्दों पर जरुर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो यह कि पिछले पांच-छह साल में मुसलमानों के साथ यहां-वहां जैसी भी हिंसा और जोर-जबर्दस्ती हुई है, वैसी क्या बरसों-बरस तक कांग्रेसी राज में नहीं होती रही है ? यह किसी पार्टी-विशेष का मसला नहीं है। यह भारतीय समाज के आंतरिक अंतर्विरोधों का परिणाम है। भारत के मुसलमान कौन हैं ? क्या ये अरब हैं, मंगोल हैं, तुर्क हैं, मुगल हैं, उइगर हैं ? हजार-पांच सौ साल पहले ये विदेशी अल्पसंख्या में भारत जरुर आए थे लेकिन अब तो वे इतने घुल मिल गए हैं कि उनका घराना-ठिकाना ही खोजना मुश्किल है। इन मुट्ठीभर विदेशियों के कारण क्या हमारे करोड़ों मुसलमानों को हम विदेशी मूल के

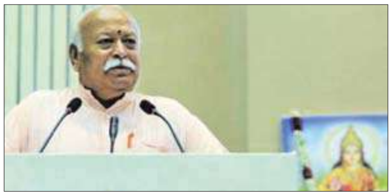

> भारत का मुसलमान सर्वश्रेष्ठ तो है ही, वह निश्चित रुप से उन देशों के मुसलमानों से कहीं बेहतर हालात में हैं, जहां वह अल्पसंख्यक है। हमारे मुसलमानों की तुलना जरा उन देशों से कीजिए, जो ईसाई हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं और कम्युनिस्ट हैं। सुन्नी देशों में शिया और शिया देशों में सुन्नी मुसलमानों की दशा क्या है ? पाकिस्तान में तो वे एक-दूसरे पर भयंकर हिंसक हमले करते ही रहते हैं।

कह सकते हैं ? इस प्रश्न का जवाब मैं अटलबिहारी वाजपेयी के शब्दों में देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमानों का खून, हमारा खून है और उनकी हड्डियां, हमारी हड्डियां हैं। कुछ वर्ष पहले दुबई के अपने एक भाषण के दौरान जैसे ही मैंने कहा कि भारत के मुसलमान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुसलमान हैं तो श्रोताओं में बैठे कई अरब शेखों के चेहरों पर अचानक तनाव आ गया। मुझे उन्हें बताना पड़ा कि ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिए है कि भारत के मुसलमानों ने इस्लाम की नई विचारधारा को कबूल तो किया लेकिन उनकी नसों में हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति भी प्रवाहित होती है। दोनों का सम्मिश्रण ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है।

भारत का मुसलमान सर्वश्रेष्ठ तो है ही, वह निश्चित रुप से उन देशों के मुसलमानों से कहीं बेहतर हालात में हैं, जहां वह अल्पसंख्यक है। हमारे मुसलमानों की तुलना जरा उन देशों से कीजिए, जो ईसाई हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं और कम्युनिस्ट हैं। सुन्नी देशों में शिया और शिया देशों में सुन्नी मुसलमानों की दशा क्या है ? पाकिस्तान में तो वे एक-दूसरे पर भयंकर हिंसक हमले करते ही रहते हैं। मुसलमानों में अहमदिया, कादियानी, मेहदी, मेमन, मुहाजिर, पठान, बलूच, सिंधी और पंजाबी लोग एक-दूसरे पर शोषण और जुल्म के इल्जाम लगाते रहते हैं। वे अक्सर एक-दूसरे पर 'तफ्रका और ताअस्सुब' का संदेह करते रहते हैं। यदि बंगाली मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा होता तो क्या बांग्लादेश बनता ? पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की जो हालत हैं, क्या भारत में मुसलमानों की भी वही हालत है ? क्या मुस्लिम देश में कोई गैर-मुस्लिम कभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना है ? भारत में विधायक और सांसद ही नहीं, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ही नहीं, भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति भी कई मुसलमान बने हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री भी कभी कोई मुसलमान बन जाए। पिछले 50 वर्षों में ऐसे दर्जनों ईसाई, बौद्ध और कम्युनिस्ट देशों में मैं रहा हूं, पढ़ा हूं, पढ़ाया हूं और घूमा हूं, जहां मुसलमान हैं तो सही लेकिन भारत की तरह अल्पसंख्या में हैं। मैं उनकी स्थानीय भाषाएं जानता रहा हूं और उनसे मेरे बहुत खुले और आत्मीय संवाद भी होते रहे हैं। सत्य तो यह है कि वे जहां भी अल्पसंख्या में हैं, उनका जीना दूभर है। सोवियत संघ के उजबेक, ताजिक, किरगीज़, कजाक और तुर्कमान लोगों को मैंने रुसियों की गुलामी करते हुए देखा है। चीन के शिनच्यांग प्रांत के उइगर मुसलमानों की दशा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। फ्रांस के अल्जीरियाई और अफ्रीकी मुसलमानों के इस्लामी रहन-सहन और पहनावे पर तरह-तरह के प्रतिबंध हैं। अन्य यूरोपीय देशों में कुरान शरीफ और इस्लामी महापुरुषों की खुले-आम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इस्राइल में मुस्लिम फलस्तीनियों का क्या हाल है, सारी दुनिया जानती है।

इसका अर्थ यह नहीं कि भारत के मुसलमान सउदी अरब के मुसलमानों की तरह मालदार और ताकतवर हैं। वे वैसे हो ही नहीं सकते थे। क्योंकि भारत में ज्यादातर वे ही लोग मुसलमान बने, जो गरीब, ग्रामीण, अशिक्षित, मेहनतकश और कमजोर थे। वही धारावाहिकता आज भी कायम है। उनसे भी ज्यादा बदहाल वे हिंदू हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, मेहनतकश हैं। मुसलमानों की हालत भारत में कहीं बेहतर है, क्योंकि भारत की संस्कृति सहनशीलता पर आधारित है। इस्लाम से भी अधिक कट्टरपंथी संप्रदाय हिंदुओं में हैं लेकिन उन्हें भी बर्दाश्त किया जाता है। एतराज तभी होता है, जब मजहब को राजनीति का आधार बनाया जाता है, जैसा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। जिन्ना का मुंहतोड़ जवाब सावरकर और गोलवलकर थे। अब देश-काल बदल गया है। इसीलिए मोहन भागवत का हिंदुत्व भी सर्वसमावेशी बन गया है। भागवत ने पुरानी लकीर काटी नहीं है। बस, एक बड़ी लकीर खींच दी है।

फारुक के सुरों में देशद्रोह की बू

श्याम सुंदर भाटिया

> फारुक़ को आड़े हाथों लेते हुए जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना कहते हैं, जम्मू-कश्मीर किसी के बाप-दादा की जागीर नहीं है, यह हमारी मातृ भूमि है। फ़ारुक़ चीन का सहारा लेना बंद करें और खयाली पुलाव न पकाएं। डॉ. फ़ारुक़ अब्दुल्ला मानते हैं, केंद्र सरकार विशेष रुप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के प्रति उनका मोहभंग हो गया है। घाटी के लोगों का केंद्र सरकार में कई विश्वास नहीं है।अब्दुल्ला ने पांच अगस्त, 2019 को कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने को लेकर हुए फैसले से 72 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में हुए संवाद का खुलासा भी किया। अब्दुल्ला ने कहा, प्रधानमंत्री ने बैठक में अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर एक शब्द नहीं कहा।

भारत माता की जय बोलने वाले डॉ. फ़ारुक़ अब्दुल्ला की जुबां अब शोले उगल रही है। स्वर एकदम देशद्रोह सरीखे हैं। भाव-भंगिमाएं तनी हैं। चेहरा तमतमाया हुआ है। कश्मीरियों के कंधे पर एके-47 रखकर असंवैधानिक और गरिमाहीन शब्दों की दनादन फ़ायरिंग कर रहे हैं। कश्मीर के लोग खुद को भारतीय नहीं मानते हैं, न ही वे भारतीय होना चाहते हैं। कश्मीरी भारत के बजाए चीनी राज पसंद करेंगे। दरअसल देश विरोधी तल्ख़ बयानों ने हमेशा कश्मीर की सियासत में खाद-पानी का काम किया है। नतीजन कश्मीर को विकास की धारा से कोसों दूर रखा। हकीकत यह है, आखिर दिल की बात जुबां पर आ ही गई है। बड़े अब्दुल्ला मानते हैं, कश्मीर लोगों के साथ अब दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा सुलूक किया जा रहा है। उनके हालात गुलाम सरीखे हैं, इसीलिए जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद 35ए पुनः बहाल किया जाए। उन्होंने यह भड़ास वेबसाइट और पत्रिका को दिए अलग-अलग इंटरव्यू में निकाली। इन गुफ्तगू में वह आपा खो बैठे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धोखेबाज की संज्ञा देने में नहीं चूके। बोले, चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 ख़त्म करने की वकालत नहीं की है। हमें उम्मीद है, आर्टिकल 370 को फिर से चीन की मदद से बहाल किया जा सकेगा। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्ति से बेहद आहत बड़े अब्दुल्ला ने इसे ताबूत में आखरी कील करार दिया। वह कहते हैं, घाटी के लोगों ने गांधी के भारत को चुना था, न कि मोदी के भारत को। वह सवाल-दर-सवाल करते हैं। पूछते हैं- घाटी की हर गली में सैनिक एके -47 लिए हुए खड़े हैं, आजादी कहां है? लगता है, डॉ. फ़ारुक़ अब्दुल्ला का कोई कसूर नहीं है। देशद्रोह की चालें उनके जीन्स में हैं। इतिहास गवाह है, जम्मू-कश्मीर के भारतीय अधिग्रहण के बादडॉ. फ़ारुक़ अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री के पद पर ताजपोशी हुई, लेकिन तत्कालीन सदर-ए-रियासत डॉक्टर कर्ण सिंह ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। 1953 में बर्खास्तगी के मूल में तो शेख अब्दुल्ला पर कश्मीर कॉन्सपिरेसी का आरोप था।

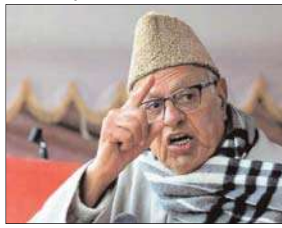

हालाँकि कहा यह जाता है, उन्हें सदन में बहुमत नहीं होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। शेख अबदुल्ला की केबिनेट के साथी बख्शी गुलाम मोहम्मद को कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। थोड़े ही दिन बाद कश्मीर कॉन्सपिरेसी के आरोप में फ़ारुक़ अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। वह करीब 11 बरस जेल में रहे। अब फ़ारुक़ के बेटे उमर अब्दुल्ला अपने दादा और पिता की डगर पर चलने की फिराक में हैं। कहते हैं, पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। उमर ने एक न्यूज़ पेपर में लिखे अपने आर्टिकल में ऐलान किया है, जब तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वह विधान सभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला मानते हैं, मौजूदा समय में कश्मीरी नागरिक खुद को भारतीय नहीं समझते और वे भारतीय रहना भी नहीं चाहते हैं। इसके बजाए कश्मीरी नागरिक चीनी शासन में रहने को तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और चार दशकों से जम्मू कश्मीर की राजनीति में भारत समर्थित चेहरों में से एक रहे अब्दुल्ला ने कश्मीरियों की तुलना गुलामों से करते हुए कहा, उनके साथ देश के दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। भाजपा का यह कहना भी बिल्कुल निरर्थक है, कश्मीर के लोगों ने अगस्त 2019 में हुए बदलावों को स्वीकार कर लिया है, वह भी सिर्फ इसीलिए कि वहां कोई प्रदर्शन नहीं हुए।अगर कश्मीर की हर सड़क से सैनिकों को हटा दिया जाए और वहां से धारा 144 भी हटा दी जाए तो लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ जाएंगे। अब्दुल्ला ने इन इंटरव्यू में बताया, घाटी को हिंदुओं से भर देने और घाटी को हिंदुओं को बहुमत में लाने के लिए ही नया डोमिसाइल कानून लाया गया। इससे कश्मीर के लोगों में और कड़वाहट पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पूछते हैं, देश की संप्रभुता पर प्रश्न उठाना, देश की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लगाना क्या एक सांसद को शोभा देता है? क्या ये देश विरोधी बातें नहीं हैं? उन्होंने आगे कहा, ''इन्हीं डॉ. फ़ारुक़ अब्दुल्ला ने भारत के लिए कहा था कि पीओके क्या तुम्हारे बाप का है, जो तुम पीओके ले लोगे, क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हैं। पाकिस्तान और चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी और भारत को लेकर जिस प्रकार की बेशर्मी इनके मन में है, ये बातें अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करती हैं।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

विचार नही मिलने से

विचार नही मिलने से कोई दुश्मन नही हो जाता,,,बाकी जिसकी जितनी समझ,,,,वैचारिक मतभेद आजकल कब मनभेद में कन्वर्ट हो जाते हैं, पता ही नही चलता,,सब बौद्धिक स्तर का खेल है,,,जो मन पर ज्यादा हावी हो जाता है,,, जो जिस लेवल पर ले जाना चाहे उसकी मर्जी...!!

- निशा रावल

जिंदगी तेरी करतूतों

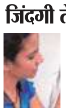

जिंदगी तेरी करतूतों पर मेरी कोशिशें भारी है आज तेरी होशियारी है पर कल मेरी बारी है। दिखाले तू भी अपना दमखम हर कदम पे जख्म हजार दे तेरे आगे खड़ी मेरी खुद्दारी है। कितने ही बिछाए कोई झूठ के काँटें राह में झूठे काँटों का जवाब बस मेरी ईमानदारी है। तेरे दामन में जितने सुख उतने ही दुख भी मेरी आँखों में देख सपनों की चिंगारी है। **- मीना सोनी**

ख़ास पाती | हिन्दी औ उर्दू सी लज्ज़त पाई

हिन्दी औ उर्दू सी लज्ज़त पाई है। भोजपुरी का लहजा दूध मलाई है। मोम से ज्यादा माँ कहना मीठा है पर। माँ जी से भी ज्यादा मीठी माई है। उसके साथ भी खाली था घर लेकिन अब। मैं हूँ इक तस्वीर है औ तन्हाई है। एक बुराई अपने दिल में पाल के सब। देख रहे हैं किस किस में अच्छाई है। रोज नयी दीवार उठाते हैं घर में । घरवालों के बीच में फिर भी खाई है। हाथ में है कशकोल अभी भी बच्चों के। ये भी अपने दौर की इक सच्चाई है । सीधे घर के अंदर आ जाती है दोस्त । बीमारी ने कुण्डी कब खड्काई है । घर-घर मातम फैल गया है पर अब भी। कोरोना पर चाल हमारी ढाई है। **- राजीव कुमार**

एक बात कहूं तुम हंस सकते

एक बात कहूं तुम हंस सकते हो मेरी बेवकूफी भरी बातों पर मुझे इंतजार भी नहीं फिर भी देखती हूँ आते जाते रास्तों को कभी कोई आते हुए दिखे दिखते भी हैं आते हुएलौट कर जाते हुए भी सड़क का इक छोर से उस छोर तक का बिन बोला गुमसुम छटपटाता सफर मुड़ जाती हैं गलियाँ मुख मोड़बिन देखे दूसरी गली बिन मिले बिन गले लगे औंधे मुँह पड़ती हैं कटी डाल सी जैसे पेड़ से जुदा हो कर सिसकते हुए तकियें में मुँह छुपा इन बेवकूफियों पर जितना हँसना हो हँस सकते हो तुमजिंदगी का सफर यूं ही अभी खतम तो नहीं आँखे निरंतर हैं प्रतीक्षारत। **- प्रतिमा शर्मा**

आसान नहीं है साहब यूं किसी

आसान नहीं है साहब यूं किसी का राजनेता हो जाना, अपने ही समर्थकों को कुर्सी खातिर छलना पड़ता है। असहाय लाचारों के जीवन की बलि मांगती राजनीति, कार्यकर्ताओं औ गरीबों की लाशों पर चलना पड़ता है। **- संजय सिंह राजपूत**

याद रखिए स्त्रियों की कोई

याद रखिए, स्त्रियों की कोई जाति नही होती।स्त्रियां जाति निरपेक्ष होतीं है। यदि आप अब भी मनीषा को बाल्मीकि से जोड़ कर देख रहें हैं, तो आप आंखों वाले अंधे हैं और उस कबूतर की तरह आंखे बंद कर रहे हैं, जो बिल्ली को सामने देखकर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि खतरा टल गया। बिल्ली ठीक आपकी आंखों के सामने खड़ी है। अब निर्णय आपको स्वयं ही लेना है,कि यह सत्य आंख खोलकर स्वीकार करना है या आंखे बंद कर। **- ममता अमर**

एक दल छोड़कर दूसरे दल में

एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाले लोगो को चाहिए कि जिस दल में शामिल हो रहे हों उस दल के बुराइयों से सम्बंधित अपने सारे पिछले पोस्ट डिलीट करके ही नये दल में शामिल हों ताकि जिस घटना जिस बयान पर आपने आलोचना किया था वह आलोचना नए दल में शामिल होने पर आपके लिए ही लौट के न आने पाए। **- संत आर थवाईत**

अब कंपनियां भी बहिष्कार के

अब कंपनियां भी बहिष्कार के खेल में शामिल हो गयी हैं। हमें और अधिक जागरूक होकर इस खेल पर नज़र रखना होगा। जिस भी उत्पाद का विज्ञापन जान-बूझ कर राष्ट्रवादी चैनलों पर नही दिये जाते हों, उसका उपयोग हमें नही करना चाहिए। अनेक मोर्चों पर एक साथ लड़ते रहने की ज़रूरत है। एक धक्का और दो। **- पंकज कुमार झा**

लॉक डाउन की सबसे बड़ी मार

लॉक डाउन की मार उन ब्राह्मण परिवारों पर पड़ी, जिनकी आजीविका मंदिर से जुड़ी हुई थी। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण भिक्षावृति करने को मजबूर हैं। मंदिरों अभी भी नहीं खुले , कहाँ जायें ये बेचारे, वक्त के मारे। इनका दर्द कोई नहीं देख रहा है। **- ओम प्रकाश जायसवाल**

QUIZ TIME

1) छत्तीसगढ़ के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?

2) 1857 ई. में छत्तीसगढ़ के रायपुर डाकघर के पहले पोस्टमास्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया?

3) किसने महासमुद्र में विवेक वर्धन आश्रम की स्थापना किसने की थी?

4) गढ़ीया पहाड़ किस जिले में है? (कोरिया / बीजापुर / कांकेर / नारायणपुर)

5) बस्तर के गाँधी का नाम बताइए?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) नारायणपुर (2) गोविंदराव विट्ठल (3) स्वामी आत्मानंद (4) कांकेर (5) सुंदरलाल शर्मा

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1542- मुगल सम्राट अकबर का जन्म। 1878- एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की स्थापना की। 1917- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड की प्रसिद्ध नृत्यांगना माता हारी को जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में फ्रांसीसी सैनिकों ने गोली मारी। 1924- अमेरिकी राष्ट्रपति काल्विन कूलीड्ज ने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। 1931- पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म। 1932- टाटा कंपनी ने टाटा संस लिमिटेड नामक देश की पहली एयर लाइन की शुरुआत की। 1949- त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया। 1961- लेखक सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला का निधन। 1978- सोवियत संघ ने पूर्वी कजाखस्तान क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। 1988- उज्वला पाटिल समुद्र के रास्ते विश्व का चक्कर लगाने वाली पहली एशियाई महिला बनी। 1990- बॉलीवुड अभिनेता ओम शिवपुरी का निधन। 1990- सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1996- फिजी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बना। 1997- अरुंधति राय को उनके उपन्यास 'द गॉड आफ़स्माल थिंग्स' के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। 1998- गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की फातिमा बी को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006- संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया।

फ्लिपकार्ट ने 'द बिग बिलियन डेज़' सेल लांच की

बैंगलुरु। भारत में विकसित फ्लिपकार्ट ग्रुप देश के लाखों रिटेलरों व छोटे कारोबारों को त्योहारों के इस मौसम में प्रसन्न करने के लिए तैयार है। दिनांक 16 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट होलसेल ऐप और बैस्ट प्राइस के सभी कैश-एंड-कैरी स्टोर्स पर भी 'द बिग बिलियन डेज़' सेल लांच की जा रही है जो 21 अक्टूबर तक चलेगी। देश के 9 राज्यों में 28 बैस्ट प्राइस कैश-एंड-कैरी स्टोर्स पर होने वाली 'द बिग बिलियन डेज़' सेल के तहत 200 से अधिक ब्रांडों और 45 से अधिक श्रेणियों में 800 से अधिक उत्पादों पर आकर्षक ऑफर दिए जाएंगे। बैस्ट प्राइस सदस्य सीधे स्टोर में जा सकते हैं या बैस्ट प्राइस वैबसाइट / ऐप के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। उन्हें पैकेज्ड फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स व अप्लायंसिस और सामान्य वस्तुओं की विस्तृत रेंज उपलब्ध होंगी।

सितंबर माह में 39 लाख लोगों ने की हवाई यात्रा

नई दिल्ली (वार्ता)। हवाई सफर के प्रति यात्रियों के बढ़ते विश्वास के दम पर सितंबर में घरेलू मार्गों पर यात्रियों की संख्या 39 लाख के पार पहुँच गई। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा आज जारी आँकड़ों के अनुसार, सितंबर में 39 लाख 43 हजार यात्रियों ने घरेलू मार्गों पर हवाई सफर किया। इससे पहले अगस्त में यह संख्या 28 लाख 32 हजार रही थी। इस प्रकार माह-दर-माह आधार पर इसमें 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोविड-19 के कारण पूर्ण बंदी के बाद यह किसी महीने में यात्रियों की सर्वाधिक संख्या है। हालाँकि कोविड-19 से पहले के मुकाबले इसमें गिरावट आई है। पिछले साल सितंबर के मुकाबले इस साल सितंबर में यात्रियों की संख्या 65.82 प्रतिशत कम रही है। सितंबर 2019 में एक करोड़ 15 लाख 33 हजार यात्रियों ने सफर किया था।

इसुजु मोटर्स ने लॉंच किये बीएस 6 डी मैक्स रेगुलर और एस कैब

नई दिल्ली (वार्ता)। हल्के व्यावसायिक एवं यात्री वाहन बनाने वाली कंपनी इसुजु मोटर्स इंडिया ने आज भारत में बीएस 6 डी मैक्स रेगुलर कैब और डी मैक्स एस कैब लॉन्च किए। कंपनी ने अपने व्यावसायिक वाहनों की रेंज का विस्तार करते हुए 1,710 किलोग्राम के पेलोड के साथ एक नए वैरिएंट डी-मैक्सा सुपर स्ट्रॉन्ग का संकलन किया है। 2.5 लीटर इसुजु 4जेए1 इंजन से लैस है। डी-मैक्स रेगुलर और डी-मैक्स एस-कैब स्पलैश व्हाइट और टाइटेनियम सिल्वर रंगों के साथ-साथ ऑल न्यू गैलेना ग्रे कलर में उपलब्ध होंगे। कंपनी ने कहा कि नए डी-मैक्स सुपर स्ट्रॉन्ग की मुंबई में एक्स शोरूम कीमत 8,38,929 रुपये होगी। आगामी त्योहारी सीजन के लिए संपूर्ण डी-मैक्स रेंज की एक आकर्षक इंट्रोडक्टरी कीमत होगी।

एमवे इंडिया ने की 'नारी शक्ति' परियोजना की घोषणा

मुंबई। महिलाओं को आगे लाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध और देश में गिग इकोनॉमी इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में प्रमुख कदम के रूप मेंदेश की अग्रणी एफएमसीजी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक एमवे इंडियाने हाल ही में 'नारी शक्ति' परियोजना के लॉन्च की घोषणा की। अपनी 10-वर्षीय विकास दृष्टि के हिस्से के रूप मेंएमवे का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना जारी रखना है और उन्हें फिटनेस,स्वस्थ जीवन,पाक कला या सुंदरता संबंधी अपने जुनून को जीने के दौरान खुद का व्यवसाय संचालित करने का अवसर प्रदान करना है। पूर्वी क्षेत्र से शुरू होकरनारी शक्ति परियोजना एमवे के मौजूदा वूमेन डायरेक्ट सेलर्स के मौजूदा समूह को अपने स्वतंत्र एमवे व्यवसायों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उनके मौजूदा कौशल को निखारकर आगे लाने पर लक्षित है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202010112400023
अ-2/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामाश्रय साहू पिता जीवनलाल साहू द्वारा ग्राम आरंग, प.ह.नं. 54 में स्थित भूमि खसरा नंबर 3413/25 रकबा 0.0110 हे. का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.0110 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 23/10/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 13/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील

सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202010112400024
अ-2/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रकाश मंडये पिता श्रीपत मंडये द्वारा ग्राम आरंग, प.ह.नं. 54 में स्थित भूमि खसरा नंबर 3413/29 रकबा 0.0164 हे. का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.0164 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 23/10/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 13/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील

सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202010112400025
अ-2/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक ना.बा. मयंक धीवर पिता मुकेश वगै. द्वारा ग्राम गुल्लू, प.ह.नं. 53, रा.नि.मं. मंदिर हसौद में स्थित भूमि खसरा नंबर 2043 रकबा 0.0200 हे. का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.0200 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 23/10/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 13/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील

सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202010112400022
अ-2/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक ममता चंद्राकर पिता मोतीलाल चंद्राकर द्वारा ग्राम आरंग, प.ह.नं. 54 में स्थित भूमि खसरा नंबर 3413/24 रकबा 0.0110 हे. का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.0110 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 23/10/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 13/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील

सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)

जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 108/2020-21
वार्ड का नाम- कामरेड सुधीर मुखर्जी-54

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कामरेड सुधीर मुखर्जी-54 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ श्रद्धा विहार जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती सुशीला देवांगन w/o गोविन्दा देवांगन के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती पूर्णिमा मानिकपुरी w/o थानेश्वर दास, थानेश्वरदास मानिकपुरी s/o सोनादास मानिकपुरी ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने।

जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)

जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 109/2020-21
वार्ड का नाम- गुरू घासीदास-49

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गुरू घासीदास-49 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ एफ-197 जो कि निगम अभिलेख में श्री दयास दास s/o जवरमल के नाम से दर्ज है, जिसको श्री बलराम धामेचा s/o स्व. मंशाराम धामेचा ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने।

जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम जोन क्र. 7, रायपुर

मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 83/2020-2021
वार्ड का नाम- पं. ईश्वरीचरण शुक्ल-22

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि तात्यापारा वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 22/ कंचन गंगा फेस-02 जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती रेमन कुमार साहू पिता भुवन लाल साहू के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती नीलाम जैन पति प्रमोद कुमार जैन ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने।

जोन कमिश्नर
जोन क्र.-07
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

सम्पदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-3, सड्डू, रायपुर (छ.ग.)
कामर्शियल काम्पलेक्स, सेक्टर-8 द्वितीय तल, सड्डू, रायपुर
Email ID emzoneii@yahoo.com GST No.22AAECA978302ZP

//आम सूचना//

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल आवास योजनांतर्गत परसुलीडीह रायपुर में स्थित भवन क्रमांक एलआईजी-101 श्री श्रीकांत कुमार पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं श्रीमती सुप्रिया प्रसाद पति श्री श्रीकांत कुमार को स्ववित्तीय/भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित किया गया था। उनके द्वारा दिनांक 13.03.2012 को अपने नाम पर सेलडीड/ विक्रय विलेख पंजीयन कराने के उपरांत वर्तमान में श्रीमती उषा बाहे पति श्री सुरेन्द्र बाहे निवासी- वार्ड नं.-23, ग्राम मरारीटोला, तहसील-बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) पिन-481052 को विक्रय करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भवन के विक्रय के संबंध में किसी व्यक्ति शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-3, सड्डू, रायपुर

नाम-परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं SIMRAN KAUR / SIMRAN KAUR ANAN W/o HARCHARAN SINGH ANAND निवासी H.No. 22/A ST.6, SEC.B. PANCHSHEEL, Borsi Durg (C.G.) यह शपथ करती हूं। कि मैने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम AMARPREET KAUR W/o HARCHARAN SINGH ANAND रख लिया है। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजो में मेरे नए नाम AMARPREET KAUR W/o HARCHARAN SINGH ANAND से ही जाना पहचाना जाए।

शपथकर्ती
AMARPREET KAUR
H.No. 22/A ST.6,
SEC.B. PANCHSHEEL,
Borsi Durg (C.G.)

कार्यपालिक दण्डाधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

मा.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक भारत कुमार साकिन उतई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा अपने पिता स्व. साधुराम की मृत्यु दिनांक 03.04.2020 को हो चुकी है। उक्त संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र चाहा गया है जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 28.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है।

आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया ।

मुहर

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती रश्मित कौर चेहक पति स्व. अमृतपाल सिंह साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 6/6, 9, 9/2019, 10, 12, 28 रकबा 0.014 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता अटल गोदवानी वगै. आ. सीरुमल गोदवानी से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 29.10.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय राजस्व निरीक्षक कसारीडीह दुर्ग (छ.ग.)

आम-सूचना

विषय :- सीमांकन बाबत।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसीलदार दुर्ग के आ. क्र. 508 दिनांक 10.07.2020 के पालन में ग्राम बोरसी प.ह.नं. 23 भूमि स्वामी श्रीमती लीना देशमुख आ./पति अरुण देशमुख निवासी बोरसी द्वारा आवेदित ग्राम बोरसी स्थित भूमि खसरा नंबर 241/86 रकबा 0.011 हे. जिसकी सीमा उत्तर में विकास देशमुख, दक्षिण में पीतेश्वरी देशमुख, पूर्व में प्लाट नं. 59, पश्चिम में रास्ता है का सीमांकन दिनांक 28.10.2020 को पूर्वान्ह/अपरान्ह 12.00 बजे से 5.00 बजे तक किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो खसरा नंबर की भूमि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित रखते हो तो अपने स्वत्व अर्जन के वैध दस्तावेज नक्शा, खसरा, ले-आऊट तथा रजिस्ट्री प्रतिलिपि सहित मौके पर उपस्थित होकर दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं। तत्पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी।

जारी दिनांक 13.10.2020

मुहर

राजस्व निरीक्षक
कसारीडीह दुर्ग

नाम-परिवर्तन

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं जहीर खान JAHIR KHAN पिता आ. जान आलम खान JAN AlAM KHAN निवासी म.क्रमांक 133, नंदू परिहार घर के सामने वार्ड 41 केलाबाड़ी जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी हूं। पूर्व में मैं जहीर खान ZAHIR KHAN के नाम से जाना जाता था। मैने अब अपना नाम जहीर खान JAHIR KHAN रख लिया हूं। तथा इसी नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूं। अतः मेरे समस्त शैक्षणिक, शासकीय एवं अर्धशासकीय अभिलेख/ दस्तावेजों में मेरा संशोधित नाम नए नाम JAHIR KHAN से जाना पहचाना व पुकारा एवं पढ़ा जाए।

शपथकर्ता
जहीर खान
निवास-म.क्र. 133, नंदू परिहार
घर के सामने वार्ड क्रं. 41 केलाबाड़ी
जिला दुर्ग (छ.ग.)
मो. 9827240786

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी- राजस्व

मा. क्रं. 202010101200055
विषय:-अ-6 सन् 2020-21
कुथरेल प.ह.न. 00037
पक्षकारों का विवरण-आवेदक पक्षकार-आशीष कुमार जैन
अनावेदक पक्षकार-

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आशीष कुमार जैन पिता स्व. सोहनलाल जैन ग्राम कुथरेल प.ह.न. 37 तह व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 865/2, 866/2, 868 रकबा 0.310, 2.130, 0.170 हे. कुल खसरा नंबर 03 कुल रकबा 2.610 हे. आवेदक के पिता सोहनलाल आ. जेठमल जैन वगै. के नाम पर राजस्व अभिलेखो में दर्ज है। जबकि आवेदक के नाम से ऑनलाईन बी-01 खसरा पंचसाला नक्शा में त्रुटिवश आवेदक के पिता सोहनलाल का नाम मोहनलाल दर्ज हो गया है। जिसे सुधार कर सोहनलाल जैन पिता जेठमल दर्ज किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 09.10.2020 को जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका शायर बाई पिता/ पति स्व. ताराचंद जैन वगै. निवासी आपापुरा वार्ड गवलीपारा दुर्ग मौजा बघेरा प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 266/21 एवं 267/22 रकबा 0.054 हे. ताराचंद जैन के नाम पर दर्ज है, भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 25.03.2020 को हो जाने के कारण वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 29.10.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 12.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./89/अ-20(3) वर्ष 2019-20

आवेदक अंकुर ताम्रकार आ. डॉ. डी.एल. ताम्रकार निवासी 454/30 मोतीपारा वार्ड क्रं. 30 दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग में स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 44 बी प्लाट नं. 100 रकबा 107 वर्गमीटर धारक डॉ. दशरथ लाल आ. चैतराम ताम्रकार नि. मोतीपारा दुर्ग के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक डॉ. दशरथ लाल की मृत्यु दिनांक 17.04.2020 को हो चुकी है। मृतक धारक द्वारा प्रश्नाधीन उक्त भूखण्ड का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 18.09.2018 को अपने पुत्र अंकुर ताम्रकार एवं अर्पित ताम्रकार के पक्ष में निष्पादित किया है। आवेदक द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन उक्त भूखण्ड से मृतक धारक का नाम विलोपित कर वसीयत प्राप्तकर्तागण का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 19.10.2020 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतः या किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर

नजूल जांच अधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक विनायक देवांगन आ. कृष्ण कुमार देवांगन साकिन थनौद द्वारा ग्राम थनौद प.ह.न. 28 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 837, 2423 रकबा 0.020, 0.680 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता अजय सिंघल आ. जयभगवान सिंघल से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 29.10.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक बसंत कटारिया डायरेक्टर ऋषभ लिमिटेड के द्वारा आवेदन पेश किया है कि उनके नाम की भूमि खसरा नंबर 764/2 रकबा 0.3400 हे. भूमि त्रुटिवश अनावेदक परमेश्वर पिता रामसुरता के नाम दर्ज हो गया है। इसी प्रकार खसरा नं. 764/1 बसंत कटारिया ऋषभ बिल्डर्स के भूमि के नाम पर दर्ज हो गया। जो परमेश्वर के नाम से दर्ज होना है। उक्त भूमि को त्रुटि सुधार किए जाने आवेदन पेश किया है।

अतः जिस किसी को आपत्ति आवेदन पेश करना हो तो वह पेशी दिनांक 16.10.2020 को आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद आने वाला दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 01.10.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती शैलेन्द्र भारद्वाज | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202010100400139

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती शैलेन्द्र भारद्वाज पति श्री एस.आर. भारद्वाज निवासी 31/337 स्ट्रीट नं. 2/ए प्रगति नगर रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	761/51	0.039 हें 4200 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री एच.ए. कुरैशी | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202010100400384

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री एच.ए. कुरैशी आ. स्व. एम.ए. कुरैशी निवासी खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	1166/3	0.022 हें 2400 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 12.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री प्रमोद कुमार साहू | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202010100400306

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री प्रमोद कुमार साहू आ. स्व. रोहणी कुमार साहू निवासी प्लाट नं. 105 ए चन्द्रनगर उमरपोटी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	722/6	0.020 हें 1800 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री प्रमोद कुमार साहू | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202010100400307

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री प्रमोद कुमार साहू आ. स्व. रोहणी कुमार साहू निवासी प्लाट नं. 105 ए चन्द्रनगर उमरपोटी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	265/33	0.010 हें 1500 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400300

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका प्रीति चंद्राकर जोशी जौ. मोतीलाल जोशी निवासी न्यू पुलिस लाईन दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 121/10 रकबा 0.020 हें/ 2240 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400122

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती मधु शर्मा पति डी.पी. शर्मा निवासी भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 463/5 रकबा 0.020 हें/ 2000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400298

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका चन्द्रिका देवी नवरंगे जौ. नामदास नवरंगे निवासी रिसाली भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम हनोदा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 752/5 रकबा 0.020 हें/ 2249.85 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400302

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री जागेश्वर प्रसाद पटेल आ. निहालीराम पटेल निवासी खुरसुल गुण्डरदेही जिला बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 127/7 रकबा 0.012 हें/ 1330 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400119

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका दशोदा बाई पति श्री नारायण वर्मा निवासी कैलाश नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 200/70 रकबा 0.022 हें/ 2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 30.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400099

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक धनीराम आ. प्रदीप निवासी शंकर नगर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 390/56 रकबा 0.020 हें/ 1600 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400230

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती खिलेश्वरी वर्मा जौ. दिनेश कुमार वर्मा निवासी कसारीडीह सुभाष नगर तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम हनोदा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 463/112 रकबा 0.0090 हें/ 990 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400262

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका तुलसी पटेल जौ. रामभवन पटेल निवासी 7 वी वाहिनी भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोलाभाठा प.ह.न. 08 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 28/119 रकबा 0.023 हें/ 2500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400275

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती यामिनी साव जौ. चन्द्रकांत साव निवासी आजाद चौक कसारीडीह दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 17/10 रकबा 0.0165 हें/ 1784 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400276

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री केशव लाल साहू आ. श्री अमरलाल साहू निवासी सेक्टर 01 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 17/25 रकबा 0.0165 हें/ 1783 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

विधायक गुरुदयाल को मिला मरवाही के जोगीसार सेक्टर का प्रभार

नवागढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा संसदीय सचिव एवं नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे पर बहुत ही विश्वास जताते हुए प्रदेश के सबसे चर्चित हाइप्रोफाइल विधानसभा मरवाही के उपचुनाव में जोगीसार सेक्टर का प्रभारी बनाते हुए बड़ी जवाबदारी दिया गया है। ज्ञात हो कि मरवाही उपचुनाव प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मई में निधन के बाद रिक्त होने के कारण हो रहा है। मरवाही के अंतर्गत जोगीसार गांव स्व अजीत जोगी का गृहग्राम है,और जोगीसर के साथ पुरे मरवाही विधानसभा क्षेत्र में जोगी परिवार का वर्चस्व और दबदबा रहता है,यहाँ से स्व अजीत जोगी 4 बार और उनके सुपुत्र अमित जोगी 1 बार इस विधानसभा का नेतृत्व कर चुके है,और इस बार के उपचुनाव में भी अमित जोगी या उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा अमित जोगी चुनाव मैदान में उतर सकते है। ज्ञात हो की मरवाही में नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर,मतदान 3 नवम्बर और परिणाम 10 नवम्बर को है। इस उपचुनाव के लिए प्रदेश के तीनो प्रमुख दल सत्ताधारी कांग्रेस,बीजेपी और वर्तमान कब्जाधारी जोगी कांग्रेस ने अपनी अपनी पुरी ताकत झोंक दी है इस उपचुनाव को जीतने के लिए,इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए कितना गंभीर है इसका पता इसी बात से चलता है की उन्होंने मन्त्रीमण्डल के समस्त सदस्यों के साथ विधानसभा के अपने पुरे विधायको को अलग अलग बूथ और सेक्टर का प्रभारी बना कर जिताने की जवाबदारी सौंपी है।

एक नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करे कांग्रेस सरकार : मुकेश कौड़ों

डौंडी। उपाध्यक्ष भारती जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला बालोद मुकेश कौड़ो ने कहा केन्द्र सरकार के तीनो कृषि बिल किसानों के लिए वरदान भारतीय जनता पार्टी डौंडी के मुकेश कौडों उपाध्यक्ष भारती जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला बालोद ने कहा कि वर्तमान में राज्य के कांग्रेस सरकार अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताती है पर वास्तविकता में सरकार को किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है आज कांग्रेस जगह-जगह केन्द्र सरकार के किसान बिल पर भ्रम फैला कर किसानों को गुमराह कर रहीं है, श्री कौड़ों ने आगे कहा केन्द्र सरकार के तीनों कृषि बिल किसानो के वरदान है, केन्द्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में संसद के अन्दर तीन कृषि बिल को पास कराए गए जो इस देश के किसानों के लिए वरदान साबित होंगे।

सघन समुदायिक संरक्षण अभियान के तहत घर-घर सर्वे

खरोरा। प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू हुए कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर- घर जाकर कोविड-19 के लक्षणात्मक मरीजों की पहचान कर रही हैं,इसी कड़ी में सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत धरसींवा विधानसभा की विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा व तिल्दा जनपद के मुख्यकार्यपालन अधिकारी राजेन्द्र पांडेय ने भी ग्राम पंचायत केशला (खरोरा)में प्रत्येक घरों में जा कर सघन कोरोना सामुदायिक सर्वे शुरुआत किया ।जिसमें विधायक अनिता शर्मा द्वारा घर घर जाकर कोरोना के प्रति सजग रहने व निःसंकोच कोरोना जाँच कराने के लिए प्रत्येक परिवार के सदस्यों को कहा गया तथा प्रत्येक परिवार के सदस्यों को कोरोना जाँच के लिए व सम्भावित कोरोना मरीज की पहचान कर उन्हें उचित इलाज करवाने हेतु सहयोग करने की अपील की गई।तथा लोगो को समझाइश दी गई की बिमारी को छुपाये नही,कोरोना की जांच करवाएं ताकि परिवार व ग्रामवासी सुरक्षित रहे। तिल्दा जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेन्द्र पांडेय ने कहा कि सघन कोरोना सामुदायिक सर्वे अभियान के दौरान घर-घर जाकर सघन सामुदायिक सर्वे कर कोविड-19 के सभी मरीजों की जल्द से जल्द पहचान कर त्वरित उपचार सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही आइसोलेशन के जरिए संक्रमण की श्रृंखला भी तोड़ी जाएगी।

58 वर्ष के बाद नवरात्रि में बन रहा दुर्लभ योग

खरोरा। इस बार आगामी 17 अक्टूबर से माता दुर्गा जी की आराधना को लेकर नवरात्र शुरू होगे 25 अक्टूबर तक श्रद्धा एवं भक्ति से मां की आराधना की जाएगी। खरोरा के ज्योतिषाचार्य पण्डित धनंजय शर्मा ने बताया कि इस बार 58 वर्ष के बाद शनि देव मकर में गुरु ग्रह धनु राशि में रहेंगे।शनिवार को 17 अक्टूबर से मां दुर्गा जी की पूजा आराधना को लेकर नौ दिवसीय पर्व नवरात्रि शुरू होगा। यह 25 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, इस दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी होगा।सूर्य तुला में प्रवेश करेंगे ।इस राशि में पहले से वक्री बुध भी रहेगा, इस कारण बुध और आदित्य का योग बनेगा। पंडित जी ने बताया कि नवरात्रि में शनि मकर में गुरु धनु राशि में रहेंगे। यह दोनों 58 वर्ष बाद एक साथ अपनी अपनी राशि में रहेंगे। वर्ष 2020 से पहले यह योग 1962 में बना था उस समय 29 सितंबर से नवरात्रि शुरू हुई थी।

नौ दिनों की होगी नवरात्रिः इस साल नवरात्रि पूरे नौ दिनों की होगी।इस दिन सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर नीच के हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को बुध और चंद्र भी तुला राशि में रहेंगे।चंद्र 18 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन सूर्य और बुध का यह योग बुधादित्य योग के नाम से पूरे नवरात्र तक रहेगा।

रोजगार सहायक ने सौंपे ज्ञापन

खरोरा। जब से मनरेगा छग मे लागू हुआ है तब से हम ग्राम रोजगार सहायक अपनी सेवाएं एवं ग्रामीण विकास विभाग साथ शासन के विभिन्न कार्यों मे अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, परंतु ज्ञात हो कि हम सभी आज आर्थिक व मानसिक तौर पर शोषित होते आ रहे हैं हम अपनी समस्याओं को तात्कालीक सरकार छग को विभिन्न माध्यमों से अवगत करवाने का भरपूर प्रयास किया गया ,परंतु आज पर्यंत तक कुछ भी परिणाम नही निकल पाया और आपके द्वारा हमे आश्वस्थ किया गया कि हमारी सरकार आयेगी और आपकी समस्याओं पर कार्यवाही किया जायेगा।

मंत्री अकबर ने कवर्धा में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 51 हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया

नवप्रदेश संवाददाता

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के वन, परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान कलेक्ट्रोरेट कार्यालय के सभा कक्ष में कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में निवासरत 51 हितग्रहियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नवनीकृत पट्टा वितरण किया। उन्होने पट्टा वितरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गठित की नई सरकार द्वारा लगभग पौने दो वर्षों में नगरीय विकास के क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयासों से प्रदेश में शहरों के विकास की एक नई शुरूआत हुई है। राज्य सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को काबिज भूमि का पट्टा देने और बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए 'राजीव गांधी आश्रय योजना', 'मोर जमीन मोर मकान' जैसी अभिनव योजनाएं प्रारंभ की। बुनियादी सुविधाओं के विकास से नागरिकों को अनेक सहूलियतें मिली हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जन शिकायतों के त्वरित निदान के लिए वार्ड कार्यालय जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को 600-1200 वर्गफुट का पट्टा प्रदान करने हेतु 'राजीव आश्रय योजना' प्रारंभ की गई है। प्रदेश के तीन लाख रुपए की आय तक वाले किराएदारों को मकान मालिक बनाने के लिए पॉश कॉलोनी में 3.5 लाख रुपए में दो कमरे का पक्का आवास दिया जाएगा। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम लाया गया है। इन अधिनियम के माध्यम से दिनांक 19 नवंबर 2018 के पूर्व में काबिज कब्जाधारकों को भू स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसमें ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे जिन्हें पूर्व में पट्टा प्रदान किया गया था परंतु नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वह भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे इस निर्णय में राज्य के लगभग दो लाख से अधिक शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें 'मोर जमीन मोर मकान' योजना में 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

कैबिनेट मंत्री ने दिंवगत झामसिंह के पत्नी को 4 लाख रूपए का चेंक प्रदान किया

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के वन, परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान कलेक्ट्रोरेट कार्यालय के सभा कक्ष में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा स्वेच्छा अनुदान कोष से स्वीकृत किये गये 6 लाख रूपए का चेक तीन अलग-अलग हितग्राहियों को वितरण किया। इसी प्रकार राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत पांच विपत्तिग्रस्त परिवार को 20 लाख रूपये का पांच हितग्राहियों को चेक वितरण किया। मंत्री श्री अकबर ने जिले के बोडला विकासखण्ड के ग्राम बालसमुंद निवासी दिवंगत झामसिंह ध्रुर्वे की पत्नी श्रीमती लग्नी बाई को मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत 4 लाख रूपए का चेक प्रदान किया। उन्होने इसके अलावा ग्राम घोटिया निवासी श्रीमती फूलबाई बघेल को स्वयं के इलाज के लिए एक लाख रूपए का चेक वितरण किया। इसी प्रकार बोडला विकासखण्ड के ग्राम मुढियापार निवासी राम कुमार लहरे को उनकी पत्नी के उपचार के लिए एक लाख रूपए का चेक वितरण किया। वह कैंसर से पीडित है। इसी प्रकार राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत बोड़ला विकासखंड के श्री रेमलाल, दयाबती, बैयानाबाई, अंजोरदास और मांगन को चार-चार लाख रूपए का चेक वितरण किया।

मो. मंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौरी कृपा महिला स्व-सहायता समहू को 5 लाख का चेक देकर किया उत्साहवर्धन

कवर्धा। मल्टी यूटीलिटी सेन्टर राजानावगांव के लोकार्पण में गौरी कृपा महिला स्व सहायता समूह कि महिलाओं छत्तीसगढ़ शासन के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण एवं विधि-विधायी कार्य विभाग एवं विधायक कवर्धा श्री मोहम्मद अकबर ने प्रिंटिग प्रेस स्थापित करने पांच लाख रुपये का चेक देकर शुभकानाएं दी। महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भोरमदेव आजीविका केन्द्र के द्वारा ग्रामीण

महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी तथा अपने कार्यो से पहचानी जाएगी। महिला समूह की सदस्यो ने मंत्री प्रिंटिंग प्रेस में होने वाले कार्यों के बारे में बताते हुए अवगत कराया की पंजाब से प्रिंटिंग मशीन प्राप्त हो हुआ है। प्रिंटिंग मशीन चलाने के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई है तथा मशीन लग जाने से छपाई का कार्य होगा, जिसके लिए बाजार से महिलाओं द्वारा कार्य का ऑर्डर लेकर पूरा किया जायेगा। इस पर मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समहू के सदस्यों को शुभकामनाएं दी।

तबादले के बाद भी सरकारी आवास में कब्जा

महासमुंद। महासंमुद जिले के तहसील सरायपाली में सरकारी आवास पर तबादले के बाद भी लम्बे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाए डॉ. वीके कोसरिया पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी सरायपाली कुणाल दुदावत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लाख 62 हजार 19 रुपए किराए के रूप में जमा करने के आदेश दिए हैं। सरकारी आवास में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर बकाया किराये की वसूली 12 मासिक समान किश्तों में उन्हें जमा करना होगा।

डॉ. कोसरिया को सरकारी आवास खाली करने के लिए जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नोटिस भी जारी किए गए थे। बावजूद उनके द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सरायपाली एसडीएम दुदावत ने इसे संज्ञान में लिया और नियमानुसार लोक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई की। स्थानांतरण तिथि के तीन माह बाद नियमानुसार सरकारी आवास ख़ाली कर देना चाहिए ताकि दूसरे अधिकारी-कर्मचारी को इसकी सुविधा मिल सकें। अन्यथा निर्धारित के बाद सरकारी आवास ख़ाली नहीं करने पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार किराया वसूला जाता है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सरकारी आवास में ऐसे कब्जाधारियों पर नियमानुसार करर्वाई के निर्देश दिए हैं। ताकि आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन किया जा सकें।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

पाटन से शुरू हुई...

थे। जिन भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा है उनमें राजा पाठक, लोकमणि चंद्राकर और सेन का नाम आ रहा है। सांसद विजय बघेल के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला वापिस लेने और जेल से निःशर्त रिहा करने की मांग को लेकर भाजपा नेताओं में अरविंदर खुराना, प्रमोद सिंह सांसद प्रतिनिधि, अरुण सिंह, हर्षा चंद्राकर, खेमलाल साहू, राजा संधू आदि पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक बैठे थे। इधर सरकार का पक्ष जानने के लिए नवप्रदेश ने जिम्मेदार पदाधिकारियों को फोन पर संपर्क किया तो वे उपलब्ध नहीं हो पाए। वहीं पुलिस व्दारा इस मामले में फिलहाल किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

आब बबूला हुए सीएम...

के संबंध में बताया कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अकेले रहते हैं, उन्हें इस अभियान से जोड़ा जाएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना काल में महामारी से सुरक्षा हेतु आवश्यक सुविधाएं, उनकी समस्याओं के त्वरित निदान सहित उन्हें आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। इस अभियान से जोड़ने के लिए वरिष्ठ नागरिक थाने में आवेदन देकर या पुलिस मुख्यालय से जारी वाट्सएप नंबर तथा ई-मेल एड्रेस पर आवेदन देकर समर्पण सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे। प्रथम चरण में यह अभियान रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में शुरू किया जाएगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, संचालक लोक अभियोजन प्रदीप गुप्ता, रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. आनंद छाबड़ा, उप पुलिस महानिरीक्षक सुशील द्विवेदी, मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

होम आइसोलेशनः सबसे सफल...

आइसोलेशन एप के जरिये ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद नोडल अधिकारियों के माध्यम से घर तक दवाइयां पहुचाने से होती है। फिर डाक्टर की अनुमति के बाद होम आइसोलेशन की अवधि प्रारंभ होती है। काउंसलर मरीजों को समय-समय पर फोन करते हैं,उनकी तबीयत जानने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी। आपातकालीन नम्बर के माध्यम से विशेषज्ञ डाक्टर्स, मरीजों की समस्याएं सुन कर उसका हल भी बताते हैं। तबीयत ज्यादा खराब लगने पर तत्काल असिस्टेंट नोडल अधिकारियों डॉ अंजलि शर्मा, नोविता सिन्हा, चंद्रकांत राही के माध्यम से मरीजों को हॉस्पिटल या कोविड केअर सेन्टर भेजा जाता है। ऐसे मामलों में लगातार जोन,ब्लॉक और जनपद में नियुक्त किये गए चिकित्सकों को ऑनलाइन कंसल्टेशन की जिम्मेदारी दी गयी है और आपात स्थिति में रिस्पांस टीम की त्वरित तैयारी की वजह से रायपुर में होम आइसोलेशन मैनेजमेंट का माडल सफल हो रहा है। अब तक रायपुर जिले में 14602 मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति दी गई है। इसमें से 12171 होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर स्वस्थ हो गए हैं।

एनएमडीसी से अलग होगा...

186 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं जिसमें से 16 हजार 662 करोड़ रुपए एनएमडीसी ने व्यय किये हैं और 524 करोड़ रुपए बौंड के जरिए जुटायें गये हैं। नगरनार इस्पात संयंत्र को अलग करने और इसके विनिवेश की प्रक्रिया साथ साथ शुरू की जाएगी और इसे सितंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मरवाही में नामांकन...

प्रक्रिया को शुरू किया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉ.के.के. ध्रुव और जकांछ प्रत्याशी अमित जोगी शुक्रवार 16 अक्टूबर नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के नामांकन दाखिल करते समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि अमित जोगी ने पहले ही एलान किया है कि 16 अक्टूबर को मां और कोटा विधायक रेणु जोगी के साथ दोपहर एक बजे नामांकन दाखिल करेंगे। पूरे प्रदेश की निगाहें अमित जोगी के फार्म दाखिल को लेकर लगी हुई है। मरवाही विधानसभा उपचुनाव मैदान में उतरने अब तक 11 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी आरंग के न्यायालय में मामला क्रमांक 202010112400010

विषय-अ-2 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 20-21 सिवनी प.ह.नं. 00011 (20(0.2300 हे.)

पक्षकारों का विवरण-

आवेदक पक्षकार -आलीशान ग्रीन एनर्जी प्रा.लि. रायपुर द्वारा डायरेक्टर आशीष कुमार

अनावेदक पक्षकार - छ.ग. शासन

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक आलीशान ग्रीन एनर्जी प्रा.लि. रायपुर द्वारा डाय. आशीष कुमार अग्रवाल पिता किशल लाल अग्रवाल छ.ग. द्वारा ग्राम-सिवनी प.ह.नं. 11, रा.नि.मं. पलौद में स्थित भूमि खसरा नंबर 20 रकबा 0.23 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का कुल रकबा 0.23 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन औद्योगिक प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वत: या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 21/10/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08/10/2020 को जारी किया जाता हैं।

सील

VINAYAK SHARMA
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. वि/यां संभाग रायपुर छ.ग.

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-4409/NIT-25/2020-2021/वलेलि दिनांक 09/10/2020

निम्नलिखित टेंडर क्र. T0173 एवं टेंडर क्र. T0261 हेतु मूल निर्माता या अधिकृत विक्रेता से एवं अन्य सभी निविदाएं एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम/ NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
Providing Ordinary Maintenance of Under PWD E/M Workshop Sub Division Raipur CG		
25 T0166	E/f work fro Streer Light प्रथम आमंत्रण	18.50
25 T0172	Mono block pump and Submersible pump प्रथम आमंत्रण	15.00
25 T0173	Providing and installation of new Conference system at Bridge meeting hall sirpur bhawan campus Under PWD E/M Workshop Sub Division Raipur (C.G.) प्रथम आमंत्रण	10.00
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में शास. हाईस्कूल भवन में विद्युतीकरण कार्य		
25 T0259	वि.खं. भाटापारा के बोरसी प्रथम आमंत्रण	6.67
25 T0260	वि.खं. बलौदाबाजार के बिटकुली प्रथम आमंत्रण	6.67
25 T0261	विधानसभा भवन जीरो पाइंट रायपुर में अतिरिक्त माइक सिस्टम लगाने का कार्य Make Sonic/Brahler प्रथम आमंत्रण	9.00
Providing E/f work OW/MOW/SR/Oedinary repairing works of Govt. Realdential and non-residential bullding		
25 T0263	under Rajim Subdivision Gariaband Dist.Gariaband (C.G.) प्रथम आमंत्रण	19.50
25 T0264	under Subdivision Gariaband Dist.Gariaband (C.G.) प्रथम आमंत्रण	19.50
25 T0265	under Devbhog Subdivision Gariaband Block Dist. Gariaband (C.G.) प्रथम आमंत्रण	19.50
25 T0266	Providing E/f work to OW/Deposit/SR/Ordinanry Maintenance work at Saraipali and Basna Section under PWD E/M Subdivision Mahasamund प्रथम आमंत्रण	19.50

नोट :- निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 21/10/2020 अपरान्ह 5.30 बजे तक निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

शर्तें - 1) उपरोक्त कार्यों के आबंटन प्राप्त होने पर ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

2) उपरोक्त निविदा क्रमांक T0261 उन्हीं निविदाकारों को दी जावेगी जिन्होंने तीन वर्ष में विधानसभा/मंत्रालय में इसी तरह के कार्य (Same Nature of work) करने का अनुभव प्राप्त हो सक्षम अधिकारी से अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत होगा।

जी-84234/4

कार्यपालन अभियंता,
वि./यां., संभाग लो.नि.वि.
रायपुर (छत्तीसगढ़)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बालोद जिला-बालोद (छ.ग.)

क्र. 2065/राजस्व विभाग/2020
बालोद, दिनांक 13/10/2020

छत्तीसगढ़ नगर पालिका विधान 1961 की धारा 150 के तहत

- ईश्तहार -

सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि वार्ड नंबर 03 मार्ग/गली नंबर नयापारा बालोद स्थित मकान नं. 18, 86 टैक्स मांग पंजी अनुसार में श्री नंदलाल यादव आत्मज बुधराम यादव की नाम दर्ज है। घर अपना नाम दर्ज करने हेतु (1) श्रीमती शुभद्रा यादव बे. रमेश कुमार यादव (2) तोरनलाल यादव आत्मज नंदलाल यादव ने आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः जिस किसी भी दावेदार को इस संबंध में आपत्ति हो तो वह मूल प्रमाण सहित इस सूचना प्रकाशित के 30 दिन में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने पर या अवधि के पश्चात एवं बिना प्रमाण पत्र प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नामांतरण का नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सूचना हो

दिनांक 13/10/2020

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद बालोद

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बालोद जिला-बालोद (छ.ग.)

क्र. 2081/राजस्व विभाग/2020
बालोद, दिनांक 14/10/2020

छत्तीसगढ़ नगर पालिका विधान 1961 की धारा 150 के तहत

- ईश्तहार -

सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि वार्ड नंबर 05 मार्ग/गली नंबर पाण्डेपारा स्थित मकान नं. 49, 95 टैक्स मांग पंजी अनुसार में श्री गणेश राम पटवा आत्मज स्व. बनवाली राम पटवा की नाम दर्ज है। घर अपना नाम दर्ज करने हेतु श्री कृष्ण पटवा आत्म स्व. गणेश राम पटवा ने आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः जिस किसी भी दावेदार को इस संबंध में आपत्ति हो तो वह मूल प्रमाण सहित इस सूचना प्रकाशित के 30 दिन में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने पर या अवधि के पश्चात एवं बिना प्रमाण पत्र प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नामांतरण का नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सूचना हो

दिनांक 14/10/2020

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद बालोद

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क), महासमुंद संभाग

जिला- महासमुन्द (छ.ग.)

दूरभाष नं. 07723/222019, (1) pwd_msd@yahoo.com (2) ee.mahasamund@gov.in फैक्स नं. 07723/224699

ज्ञाप क्रमांक 3733/व.ले.लि. महासमुन्द, दिनांक 12/10/2020

निविदा निरस्तीकरण सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 3480/एन.आई.टी क्र.-17/2020-21/व.ले.लि./दिनांक 18/09/2020 (Advertisemsnt No.-83792) द्वारा 19 नग कार्यों हेतु आमंत्रित निविदा स्थगित की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

जी-84264/4

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ./स.)
संभाग-महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता,

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, राजेन्द्र पार्क चौक दुर्ग (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 0778-2323633, E-mail:eedurg-phe-cg@nic.in

नि.सू.क्र. 50/तशा./(निविदा)/का.अ./लो.स्वा.यां.खंड/2020 दुर्ग, दिनांक 09.10.2020

// मैनुअल पद्धति निविदा सूचना //

छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रपत्र ए में प्रतिशत दर पर ए.डी.बी. परियोजना अंतर्गत ग्राम ठेलकाडीह-दुर्ग मार्ग एवं पुरूर-फगुन्दा-पलारी-बेल्हारी मार्ग में आने वाले दुर्ग जिले के विकासखंड दुर्ग/पाटन के निम्नलिखित ग्रामों के पाईप लाईन को विस्थापित कर नवीन प्रस्तावित पी.व्ही.सी. पाईप एवं जी.आई. पाईप स्पेशल्स सहित प्रदाय कर जोड़ने, बिछाने, इंटरकनेक्शन, टेस्टिंग, ट्रायल रन सहित संचालन संधारण इत्यादि कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 19.10.2020 शाम 5.30 बजे है।

समूह क्र.	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत (रु.लाख में)
01-03	चिखली, दमोदा, किकिरमेटा	8.93,2.615, 8.655

यह निविदा सूचना मूल निविदा का एक अंग है। विस्तृत निविदा एवं पूर्ण जानकारी इस कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

जी-84260/3

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
दुर्ग (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने पहुंचा वन अमला, आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज कर ट्रेक्टर किया जप्त

- अवैध कटाई और अतिक्रमण पर रोकथाम के लिए वन विभाग चलाकर विशेष अभियान

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। वनो की अवैध कटाई, अवैध इमारती के परिवहन और वनक्षेत्रो में अतिक्रमण के रोकथाम के लिए लगातार वन विभाग विशेष अभियान चलाकर दोषियो के विरूध्द वन अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को वन विभाग ने पाण्डुका परिक्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण रहे एक व्यक्ति के विरूध्द वन भूमि पर अतिक्रमण का मामला दर्ज किया है। वही एक व्यक्ति के घर से अवैध इमारती लकड़ी जप्त की है।

वनमंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार जिले में वनो की सुरक्षा के लिए वन अमला तत्परता से काम कर रहा है। अवैध कटाई, अतिक्रमण और अवैध इमारती के परिवहन पर अंकुश लगाने वन विभाग विशेष अभियान चलाते हुए हर परिक्षेत्र में कार्यवाही कर रहा है। मंगलवार को पाण्डुका परिक्षेत्र अंतर्गत तिलईदादर परिसर के कक्ष क्रमांक 101 में भूषण साहू

पिता जगदीश साहू निवासी ग्राम पण्डरीपानीडीह द्वारा वनभूमि पर जोताई कर अतिक्रमण का प्रयास करने की सुचना मिलने पर वन अमले ने मौके पर पहुच अतिक्रमण रोकवाया और आरोपी के विरूध्द वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। वही मौके पर जोताई कार्य में प्रयुक्त ट्रेक्टर को भी जप्त किया गया है। जिस पर राजसात की कार्यवाही होगी।

उन्होने बताया कि इसके अलावा ग्राम डांगनबाय निवासी टीकम साहू पिता हीरालाल साहू के मकान में अवैध इमारती रखने की सुचना पर छमापार कार्यवाही की गई। मकान की तलाशी लेने पर उसके घर से 2 नग बीजा लठ्ठा 0.356 घनमीटर तथा 125 नग बीजा चिरान 1.325 घनमीटर जप्त किया गया है। जिसका अनुमानित मुल्य एक लाख रूपए है। आरोपी के विरूध्द वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

वनमंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल ने लोगो से भी वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण और कटाई ना करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि इस प्रकार का प्रयास यदि किसी के द्वारा किया जाता है तो तत्काल इसकी सुचना वन विभाग को दे। उन्होने कहा कि वन, वन भूमि और वन्य जीव तीनो महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अपने क्षेत्र के वनों को सुरक्षित रखें जिससे इन तीनो की सुरक्षा के साथ ही उन्हें वनों पर आधारित लघु वनोपज का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

न्यूज गैलरी

हाथियों को देख किसान ने साइकिल छोड़ भागकर बचाई जान

महासमुंद। खेत जा रहा किसान रास्ते में एक साथ तीन हाथियों को देख जान बचाने मौके पर ही साइकिल छोड़ भागा. इधर, हाथियों ने किसान की साइकिल को पटककर तोड़ दिया और वापस मरघट नाला लौट गए. घटना सोमवार सुबह 6 बजे सिरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत लहंगर की है. जानकारी के मुताबिक गांव के किसान छेदूराम ध्रुव मोहकम मार्ग स्थित अपने खेत में लगी फसल को देखने सुबह साइकिल से जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनका सामना हाथियों से हो गया. हाथियों से जान बचाने किसान मौके पर ही साइकिल छोड़ गांव की ओर भागा और अपनी जान बचाई. एक साथ तीन हाथियों को देखने के बाद से किसान दहशत में हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजिम को कारण बताओ नोटिस जारी

गरियाबंद। मंगलवार को वीसी के माध्यम से आयोजित समय सीमा बैठक में अनुपस्थित रहने तथा सहायक नोडल अधिकारी द्वारा फोन लगाने पर जवाब नही देने के चलते कलेक्टर छत्तर सिंह डेहरे ने नगर पंचायत राजिम के मुख्य नगर पालिका अधिकारी चंदन मानकर को कारण बतायो नोटिस जारी किया है। नोटिश में कहा गया है कि कोरोना सघन सामुदायिक अभियान अंतर्गत सूचना उपरांत भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं होने एवं सहायक नोडल अधिकारी द्वारा कॉल किये जाने पर भी जवाब नहीं देना आपका शासकीय कार्यो में स्वेच्छाचारिता और अरूचि को प्रदर्शित करता है। साथ ही कर्तव्य परायणता व पूर्व रूप से सनिष्ट रहने के प्रवित्ति, उदासीन, सुस्त रवैया तथा कर्तव्य के प्रति हल्केपन और लापरवाही को भी प्रदर्शित करता है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरित है। उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर समक्ष में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

बूंदेली पुलिस की सक्रियता से शराब तस्कर पकड़ाया, दो गिरफ्तार

तेंदुकोना। नदी चरौदा के आस-पास ओड़िशा निर्मित शराब बिकने कि सूचना बुन्देली चौकी प्रभारी विकास शर्मा को मिल रही थी, यह भी सूचना मिल रही थी ओडिशा निर्मित शराब को खपाने वाले वाचर लगाकर पुलिस के आने जाने कि खबर रखते हैं ,और शराब को नदी के बीच में रखकर पुलिस के आने पर नदी पार कर ओड़िशा भाग जाते हैं, चौकी प्रभारी विकास शर्मा ने अवैध शराब के इस कड़ी को तोड़ने के लिए ओड़िशा क्षेत्र में अपनी टीम को शराबी की तरह रखना प्रारंभ किया। शराबी की भूमिका में ओड़िशा का मुख्य सरगना जो नदी में शराब उपलब्ध करता है की पहचान कि और दो टीम का गठन कर ओड़िशा और छत्तीसगढ़ की सीमा के दोनों ओर से घेराबंदी कर उस समय जब ओड़िशा का मुख्य सरगना जब नदी के पार पर बैठ व्यक्ति को शराब देने आया तब टीम दे दोनों ओर से घेरकर उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया ,नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम हेमराम सतनामी उर्फ गोलू पिता शिवदास सतनामी उम्र 21 साल ,भानु सतनामी पिता शिवदास सतनामी उम्र 20 वर्ष दोनों सगे भाई निवासी ग्राम भूतकापारा तहसील नुवापडा थाना बेलटुकरी जिला नुवापडा ओड़िशा को पकड़ कर उनके कब्जे से 48 नग जेब्रा पाऊच ,30 नग हिरन छाप पाऊच कुल 78 नग ओड़िशा निर्मित शराब किमती 3900 रुपये ,नगदी रकम 390 रुपये नगदी रकम सहित कुल पाऊच किमती 4290 रुपये जप्त कर आबकारी अधिनियम की 34(2) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

विषपान से युवती की मौत

महासमुंद। ग्राम घोंघीबाहरा में एक युवती ने जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक गीता यादव पिता भुखन (23) ने अज्ञात कारणों से जहर सेवन कर लिया। परिजनों ने उपचार के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है।

दो पक्षों में विवाद, काउंटर रिपोर्ट दर्ज

महासमुंद। पटेवा थाना क्षेत्र के ग्राम बरेकेल कला में दो पक्षों में विवाद हो गया। शिकायत पर पुलिस ने काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर जांच में लिया है। जानकारी के मुताबिक धरमप्रकाश सोनवानी ने नोहर सिंह टंडन व एक अन्य पर पत्नी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने की शिकायत की है वहीं नोहर सिंह टंडन धरमप्रकाश सोनवानी सहित दो अन्य पर पत्नी के साथ गाली-गलौज के बाद मारपीट की शिकायत की है।

साढ़े तीन लीटर देशी शराब बरामद

महासमुंद। नगर पंचायत तुमगांव के वार्ड 6 में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रुप से शराब बिक्री करते हुए पकड़ा। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर लीलूराम धीवर को नहर नाली तालाब के पास शराब की अवैध बिक्री करते हुए पकड़ा। आरोपी के पास से 3.600 लीटर देशी प्लेन शराब जब्त कर आबकारी एक्ट 34 (ए) के तहत कार्रवाई की।

दो राइस मिल पर 20 हजार रुपए का जुर्माना

महासमुंद। जिले के बसना विकासखंड के अरेकेलबांध में दो राइस मिलों से निकलने वाला प्रदूषित पानी से वातावरण खराब हो रहा था। तालाब की मछलियां मरने की शिकायत स्थानीय निवासियों ने कलेक्टर कार्तिकेया गोयल से की थी। कलेक्टर ने तुरंत एसडीएस सरायपाली को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए थे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी सरायपाली ने तत्काल बसना तहसलीदार ललिता भगत को जिम्मेदारी सौंपी। जांच कर पूरी वस्तुस्थिति से एसडीएम सरायपाली को अवगत कराया। एसडीएम कुणाल दुदावत ने दोनों राइस मिलों महालक्ष्मी और शिवशक्ति पर धारा 133 के तहत कार्रवाई की। राइस मिल महालक्ष्मी पर गांव की स्वच्छता पीएचई ट्रीटमेंन्ट नहीं करने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों मिलों द्वारा राख, साफसफाई और स्थल पर पेड़-पौधे लगाए गए हैं। एसडीएम ने दोनों राइस मिल को ग्राम पंचायत की एनओसी के शर्तो का पूरी तरह पालन करने की हिदायद दी है।

डीजल के फर्जी बिल मामले में सीएमओ ने भृत्य और इंजीनियर को थमाया नोटिस, मांगा जवाब

- लगभग 200 लीटर डीजल की लगी फर्जी बिल वाउचर
- इंजीनियर राठिया और भंडारण प्रभारी दयालु साहू के मिली भगत से फर्जीवाडा आया सामने

गंडई पंडरिया। स्थानीय नगर पंचायत गंडई मे इन दिनो मन मर्जी व दबाव पूर्वक कार्य करने की चर्चा जोरों पर है यहाँ चल रही मनमानी किसी से छुपी नहीं है। उल्लेखनीय है की गत दिनो संबन्धित विभाग के कर्मचारी के द्वारा मनमानी करते हुये फर्जी बिल तैयार कर पास करवाने और बिल पेमेंट के लिए फाइल भी तैयार करने का मामला प्रकाश मे आया है मामले को देखते हुये कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार न.पं. सीएमओ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था जिस को गंभीरता पूर्वक लेते हूए सीएमओ श्री शुक्ला ने सबंधित विभाग के कर्मचारियो के नाम नोटिस जारी करते हुये उचित कार्यवाही करने की बात कही। वही जानकारी के अनुसार इस मामले मे लिप्त कर्मचारी इस फर्जी बिल को लेकर लिपिकीय त्रुटि बताया जा रहा है वही पंपकुली एवं भंडारण प्रभारी साथ ही लोक निर्माण का कार्य देख रहे पीड़ित दयालू साहू अपने गंभीर मामले से छुटकारा पाने के लिए स्थानीय तथाकथित नेताओ के चक्कर काटने की जानकारी सामने आ रही है।

नगर पंचायत गंडई में कर्मचारियों की मनमानी और कमोजरी तो लगातार सामने आते रहे है। मगर इस बार एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसको लेकर कोई सोच भी नही सकता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत गंडई में फायर ब्रिगेड गाड़ी का एक ऐसा बिल बनाया गया है जिसमे गाड़ी में डीजल ही नही डला है और पहले ही बिल तैयार कर लिया गया है। जिसमे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के मृत्यु के दो महीने बाद उनके दस्खत, सील, साईन है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि मृत्यु के कुछ महीने बाद नगर पंचायत अधिकारी इस बिल में दस्खत करने के लिए फिर से जिंदा हो गए हो या उनके सील और साईन का कुछ लोग गलत इस्तिमाल कर फर्जी तरीके से बिल बना लिए हो। खैर मामला क्या है ये तो जांच में ही सामने आएगा मगर ऐसा किया गया है तो ये चार सौ बीसी कर फर्जी तरीके से शासकीय कार्यो और दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया जाना है। सूत्र यह भी बताते है की फायर ब्रिगेड के डीजल टैंक मे 160 लीटर ही डीजल आ पाता है तो यहाँ सवाल उठता है की 200 लीटर डीजल का बिल बना कैसे।

आरटीआई की चाहि गई जानकारी मे हो सकता है बढ़ा खुलासा

ज्ञात हो की मामले की तह तक जाने के लिए एवं उसमे सत्यता प्रदर्शित करने के लिए युवा कांग्रेस के गंडई ब्लाक अध्यक्ष व ऊर्जावान युवा नेता शुभम बघेल ने नगर मे सबमर्शिबल मोटर पंप कहाँकहाँ कब लगा है वर्ष 2018 से 2020 तक जानकारी मांगी गई है जानकारी की सत्यापित प्रति मिलने के बाद और कई प्रकार के बाते सामने आएंगे जो रोचक और चौकने वाले हो सकते है।

> संबन्धित कर्मचारी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था उनके द्वारा जवाब दिया गया है मामले को देखते हुये जल्द ही एक्शन लिया जाएगा।
>
> **प्रमोद कुमार शुक्ला,** सीएमओ

सिंगल आदेश से हुए खाद्य अधिकारी डडसेना के तबादले पर हाईकोर्ट का स्टे

- पीडीएस हेराफेरी मामले की जांच अभी भी जारी, खुलासे का इंतजार

हेराफेरी को लेकर पुलिस की भी जांच जारी

इधर मामले का सामने लाने वाले पुलिस भी इस मामले को लेकर अपनी जांच कर रही है। अब तक 16 आरोपियो को जेल भेज चुकी है। मामले में होरा ट्रासपोर्ट के पांच व एक पूजा ट्रेडर्स के ट्रक को जप्त किया है।

गरियाबंद। जिले में दो माह पूर्व हुए पीडीएस हेराफरी मामले को लेकर अब तक खुलासे का इंजतार है। प्रशासन ने अपने स्तर पर क्या जाचं की है और जांच कहा तक पहुची है इस बात का खुलासा अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नही किया गया है। हालाकि विभागीय सुत्र बता रहे है मामले को दबाने की साजिश प्रशासन द्वारा की जा रही है। जांच के नाम केवल लिपा पोती की गई है।

इस बीच मामले में निशाने में रहे जिले के खाद्य अधिकारी हुलास कुमार डडसेना का राज्य शासन ने सिंगल आदेश जारी करते हुए गरियाबंद से रायगढ़ तबादला कर दिया था। तबादला आदेश में रायगढ़ के खाद्य अधिकारी जीपी राठियां को गरियाबंद भेजा गया था। परंतु रायगढ़ में पदस्थ खाद्य अधिकारी राठिया ने इसमें असहमति जताते हुए हाईकोर्ट में तबादला आदेश के विरूध्द अपील कर दी। जिसमें उसे हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। ज्ञात हो कि जीपी राठिया पहले भी गरियाबंद जिले में पदस्थ रहे है। सुत्रो के मुताबिक पुनः वही जिला मिलने से वह संतुष्ट नही थे इसलिए उन्होने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इधर तबादला आदेश में स्टे मिलने के बाद राठिया ने अपने मूल पद से रिलीफ नही हुए, वही गरियाबंद खाद्य अधिकारी हुल्लास कुमार डड़सेना एकतरफा रिलीफ होकर यहां से रायगढ़ चले गए। वही उनकी जगह पर शासन ने वर्तमान में गरियाबंद में सहायक खाद्य अधिकारी जाफर सिध्दकी को प्रभार भी दे दिया। दोनो अधिकारी अब हाईकोर्ट के फैसले का इंजतार कर रहे है।

क्रिकेट सट्टा खिलाते 1 आरोपी गिरफ्तार 6300 नकदी और 2 मोबाईल जब्त

भाटापारा। मोबाईल पर क्रिकेट मैच पर सटटा खिलाने के आरोप में शहर पुलिस को फिर सफलता मिली है वही उसके कब्जे से जब्त हुए मोबाईल की वाइस रिकार्डिंग और चेटिंग के आधार पर तथा पुलिस ने आरोपी के बयान पर दूसरे युवक के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया है। जिसकी सरगर्मी से पुलिस तलास कर रही है।

उपरोक्त सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुए शहर थानेदार महेश कुमार धुव ने बताया की

*पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला ने अपराध पर अंकुश लगाने जुआ सट्टा खाई वालों के विरूद्ध कार्यावाही के लिये विशेष रूप से निर्देशित किया गया उनके निर्देश के बाद धारा 4(क) जुआ0एक्ट के तहत आरोपी 1. छबीलाल साहू ऊर्फ नानक साहू पिता बलराम साहू उम्र 21 वर्ष निवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाटापारा 2. जूता दुकान का मालिक वृंदावन होटल के बाजू के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्यावाही किया गया ।

टी आई महेश धुव ने बताया की सोमवार को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि गौरा चौरा पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड मे छबीलाल साहू ऊर्फ नानक साहू क्रिकेट सट्टा मोबा. पर कर रहा है सुचना पर स्टाफ प्रआर 29,आर 174 म आर. 161 के रेड कार्यवाही हेतु मौका रवाना हुआ जहां आरोपी को अपने मोबा. में क्रिकेट मैच का सट्टा लगाते पकड़ा गया।पुलिस ने उसके कब्जे से 02 मोबाईल नगदी 6300 रू जब्त किया।जब्त मोबाईल की जाँच में हुई चेटिंग और वाईस रिकार्डिंग की पूछताछ में आरोपी छबीलाल द्वारा मोबा. धारक वृंदावन होटल के पास जुता दुकान का मालिक होना तथा उक्त मोबा. धारक के लिए प्रसेंटेज में काम करना व 5-7 प्रतिशत अपने को मिलना बताये जाने पर उसके खिलाफ भी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया।पुलिस ने आरोपी छबीलाल साहू ऊर्फ नानक साहू को विधिवत आरोप बताकर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया वही एक अन्य की तलाश जारी है।

केसला में टूटेगी 80 साल पुरानी परंपरा, नहीं होगी रामलीला

खरोरा। वर्षो से प्रतिवर्ष श्री रामलीला मंचन व दशहरा महापर्व आयोजन की अनवरत चली आ रही ऐतिहासिक परंपरा को इस वर्ष कोराना संक्रमण के कारण रामलीला मंचन व दशहरा उत्सव समारोह का स्थगित या औपचारिक दायरे सिमट जाने के संभावना से खरोरा परिक्षेत्र की धार्मिक जन भावनाऐं निराश व हताश हैं। खरोरा नगर के सरहद से लेगे ग्राम केसला के रामलीला व दशहरा समारोह के आयोजक मंडल के सदस्य व रामचरण देवागन , भगवती देवांगन ,शिवकुमार देवांगन , शत्रुघ्न देवांगन , मुन्ना यादव ,गणेश देवांगन , भरत सोनवानी ,शिव कुमार देवांगन ,आदि ने बताया की ग्राम केसला मे विगत 80 वर्षो से प्रति वर्ष रामलीला मंचन व दशहरा उत्सव का भव्य आयोजन अब तक हो रहा था। प्रतिवर्ष आयोजित दशहरा महोत्सव के आयोजन मे ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता रहती आ रही है आसपास के ग्रामों से भी बडी तदात मे लोग अपने परिवार सहित ग्राम केसला में आयोजित दशहरा समारोह मे शामिल होकर विजयादशमी का भरपूर आनंद लेते थे।

कोरोना संक्रमण काल में कबीरधाम जिले के 97 युवक-युवतियों को मिला रोजगार

- मंत्री अकबर ने शाला संगवारी बने सभी 97 युवक-युवतियों को प्रमाण पत्र दिया

कवर्धा। कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण काल में देश के अन्य राज्यों में एक ओर जहां प्राईवेट कंपनियों में कर्मचारियों की छटनीं शुरू हो गई है, वही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में जिले स्तर पर स्थानीय शिक्षित युवक-युवतियों के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर दी जा रही है। राज्य सरकार की जिला खनिज संस्थान न्यास नीति के तहत कबीरधाम जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के 97 शिक्षित युवक-युवतियों को शाला संगवारी के रूप में रोजगार दिया गया है।

प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर एवं पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर द्वारा आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले में शाला संगवारी के रूप में चुने गए सभी स्थानीय युवक-युवतियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उन्हे शुभकामनाएं दी गई। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में युवाओं से लेकर किसानों में उम्मीद की नई किरण जागी है। किसानों की आर्थिक उन्नति और प्रगति के लिए राजीव गांधी न्याया योजना की शुरूआत की गई है, वहीं स्थानीय स्तर पर जिले के शिक्षित-युवक-युवतियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किया जा रहा है।

गंभीर चूक धान बेचने को लेकर संशय, गिरदावरी में भी पटवारियों ने नही की जांच

वन पट्टाधारी सैकड़ों किसानों का अब तक नहीं हुआ पंजीयन

गरियाबंद। अंचल के वन पट्टा धारी सैकड़ो किसानो का अब तक खरीफ वर्ष 2020-21 में धान के बेचने के लिए सोसायटी में पंजीयन नही हुआ है। जब कि पंजीयन का कार्य अंतिम चरण में है। ऐसे में अब किसानो को अपने धान को बेचने को लेकर चिंता सताने लगी है। अब तक वन पट्टा धारी किसानो के खेतो की गिरदावरी जांच भी नही हुई है। जबकि उसी गांव के अन्य किसानो के गिरदावरी जांच का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। इधर वन पट्टा धारी किसान जब अपने नजदीकी समिति में पंजीयन कराने गए तो समिति वालो ने भी उन्हे शासन से निर्देश नही मिला है कह कर वापस लौटा दिया है। इससे चिंचित किसान अब जिला प्रशासन से मामले में संज्ञान लेने के लिए गुहार लगा रहे है।

गरियाबंद ब्लाक अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परसुली के संचालक सदस्य और सैकड़ो किसानो ने इसे लेकर सोमवार को कलेक्टर छत्तरसिंह

ठेहरे और तहसीदार राकेश साहू को ज्ञापन सौप शीघ्र ही समस्या का हल निकालने की अपील की है। इस संबंध में नेहरू साहू, राम साहू, बैसाखु राम सोरी, प्रेमलाल साहू, संतुराम साहू, धनेश साहू, अवध राम, गोविंद ध्रुव, गजाधर ध्रुव, भुवन साहू सहित अन्य किसानो ने बताया कि बिते चार पांच वर्षो से वे वन पट्टा में दर्ज रकबा के अनुसार समिति में धान बिक्री तथा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत खाद, बीज व नगद राशि का लेन देन कर रहे हैं। पूर्व में ली गई ऋण राशि को भी उनके द्वारा समय पर पटाया गया है किन्तु इस वर्ष किसानों द्वारा समिति में धान बिकी हेतु पंजीयन कराने के संबंध में पूछताछ की गई तो में समिति कर्मियों द्वारा कहा जा रहा है कि शासन द्वारा अभी तक वनपट्टा धारी किसानों का धान बेचने हेतु पंजीयन का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके कारण वे पट्टाधारी किसानों का धान बेचने हेतु पंजीयन नहीं कर सकते। किसानों ने बताया वन पट्टा धारी किसान उक्त भूमि से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं तथा उक्त वन भूमि में फसल उत्पादन हेतु कई जगहों से ऋण ले कर लागत लगा चुके है। यदि धान खरीदी नही होगी तो किसान संकट में आ जाएगा। आर्थिक नुकसान के साथ ही वह फसल हेतु लिए कर्जे में डुब जाएगा। किसानो ने कलेक्टर से शीघ्र ही पंजीयन प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है।

डगनिया केंद्र में गोबर खरीदी बंद , केंद्र प्रभारी निलंबित

■ नगरीय प्रशासन सचिव ने गोबर खरीदी केंद्र का किया औचक निरीक्षण

रायपुर। नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलमेलमंगई डी. ने आज गोधन न्याय योजना के तहत नगर निगम रायपुर क्षेत्र अंतर्गत गोबर खरीदी केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने गोबर से जैविक खाद निर्माण तथा पैकेजिंग और मार्केटिंग की भी जानकारी ली। अलरमेलमंगई डी. ने डगनिया केन्द्र में गोबर खरीदी बंद पाए जाने पर केन्द्र प्रभारी को मौके पर ही निलंबित किया।

सचिव अलरमेलमंगई डी. ने नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को किसी भी स्थिति में गोबर खरीदी बंद नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गौठानों में वर्मी कॉम्पोस्ट तथा अन्य सामग्रियों का निर्माण निरंतर जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं का पंजीयन भी अधिक से अधिक कर किसानों और गरीबों को लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जाए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के आयुक्त सौरभ कुमार और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक सौमिल चौबे मौजूद थे।